

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/-रु.

मार्गशीर्ष-पौष 2082, दिसंबर 2025



समय की आवश्यकता है
नया रोजगार गारंटी विधेयक

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी बैठके

सचित्र झलक



स्वदेशी मेला - तुमकुर (कर्नाटक)



अभ्यास वर्ग, कर्णावती (गुजरात)

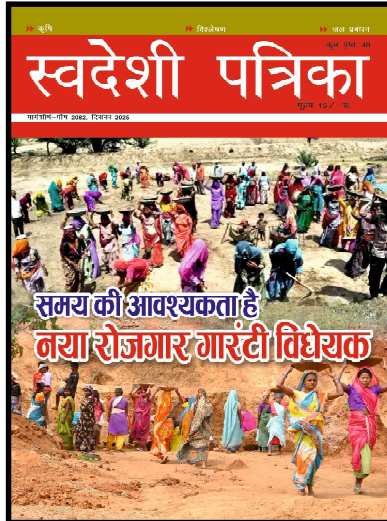


स्वदेशी व्यापार जुटान, विजनौर



जिला सम्मेलन, सरायकेला





वर्ष-33, अंक-12
मार्गशीर्ष-पौष 2082 दिसंबर 2025

संपादक
अजेय भारती

सह-संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011-26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ.
अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्प्यूटेंट बाइन्डर्स
(प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली-32
से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**



तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा - पृष्ठ-06

**समय की आवश्यकता
है नया रोजगार
गारंटी विधेयक**
डॉ. अश्वनी महाजन



- 1 मुख्य पृष्ठ
- 2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ
- 08 आवरण कथा-2
विकसित गांव की बुनियाद पर विकसित भारत का सपना
..... अनिल तिवारी
- 11 चिंतन
प्रासंगिक है युगानुकूल स्वदेशी चिंतन
..... डॉ. धनपत राम अग्रवाल
- 13 आर्थिकी
रुपये की कमजोर सेहत और भारत की तेज विकास दर के मायने
..... दुलीचंद कालीरमन
- 15 आर्थिकी
क्यों हो रहा है भारतीय रुपए का अवमूल्यन
..... प्रहलाद सबनानी
- 17 विमूर्ति
स्वदेशी आंदोलन के अमर शहीद बाबू गेनू सैद जी
..... विकास खितौलिया
- 19 श्रद्धांजलि
सदियों तक याद रहने वाला बॉलीवुड का अमर सितारा
..... अजय कुमार
- 21 दृष्टिकोण
खतरनाक है पश्चिमी अंधानुकरण
..... महादेवय्या करदल्ली
- 22 विज्ञान
स्वदेशी विज्ञान से वैश्विक नेतृत्व: भारत के वैज्ञानिक पुनर्जागरण का निर्णायक काल
..... प्रो. रूबी मिश्रा
- 24 स्वास्थ्य
ऋतुओं को निगलने लगा प्रदूषण: बदलता मौसम, घटता जीवन
..... विजय गर्ग
- 26 संविधान दिवस
संविधान की रीढ़ है सचेत नागरिक
..... संजय सक्सेना
- 28 शिक्षा
स्वस्थ शरीर में ही होता है स्वस्थ मस्तिष्क
..... डॉ. नन्द सिंह नरुका
- 30 खोज-खबर
अफगान महिलाओं की अनदेखी: सऊदी अरब से सीखे अफगानिस्तान
..... संध्या जैन
- 35 रिपोर्ट
प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम जयन्ती: जीवन की हर सांस, प्रभु श्री राम के साथ
..... डॉ. आलोक दीपक

प्रेरक संघर्ष

कानपुर, उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में जन्मे श्रवण कुमार विश्वकर्मा का जीवन कठोर परिश्रम व अटल इच्छाशक्ति का जीवंत प्रमाण है। युवावस्था में शिक्षा त्यागकर उन्होंने टैपो व ऑटो रिक्शा चलाए, अनेक लघु व्यवसायों का प्रयास किया, जो विफल हुए, किंतु वे कभी निराश नहीं हुए। 2014 में सीमेंट के कारोबार ने उनके भाग्य को नई दिशा दी, उसके बाद टीएमटी स्टील रॉड, खनिज उद्योग व परिवहन क्षेत्र में प्रवेश कर उन्होंने ट्रकों का विशाल बेड़ा खड़ा किया।

लगभग चार वर्ष पूर्व विमानन जगत में पदार्पण का संकल्प लिया। उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए किफायती व विश्वसनीय हवाई यात्रा की कमी को पहचाना। नागरिक विमानन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर शंख एयरलाइंस की स्थापना की, जो 2026 में एयरबस ए-320 विमानों से प्रथम उड़ान भरेगी। लखनऊ से संचालित यह सेवा दिल्ली व मुंबई को जोड़ेगी, गतिशील मूल्य निर्धारण के बिना सुलभ दामों पर टिकट उपलब्ध कराएगी।

युवा पीढ़ी के लिए श्रवण प्रेरणा स्रोत हैं। उनका मानना है, 'शिखरारोहण करने वाला हर दर्द जानता है।' वे नवयुवकों को उकसाते हैं कि पराजयों से सबक लें, विशाल स्वप्न सजाएं। शंख एयर के माध्यम से ग्रामीण व नगरीय युवाओं को सामर्थ्यवान बनाने हेतु रोजगार सृजन की योजना है। उनकी गाथा प्रमाणित करती है कि दृढ़ निश्चय व श्रम से नभ स्पर्श संभव है। वर्तमान में 35 वर्षीय श्रवण कानपुर का अभिमान हैं।

विजित कुमार (स्वदेशी कार्यकर्ता), दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

“धर्मक्षेत्र” शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर-8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली-110022

दूरभाष : 011-26184595 • ई-मेल:

swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क 'स्वदेशी पत्रिका' दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

कहा-अनकहा



लोक सेवा आयोगों को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत करने के साथ-साथ विश्व स्तर पर तुलनीय सिविल सेवकों की टीम विकसित करने की आवश्यकता है।

द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति, भारत



पारंपरिक चिकित्सा को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन की प्रदर्शनी में दुनिया भर के हर्बल उपचार और प्राचीन चिकित्सा प्रणालियां प्रदर्शित की गयी, जिसमें आधुनिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उनकी बढ़ती प्रासंगिकता और क्षमता को उजागर किया गया।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत



सच्चाई यह है कि वीबीजीरामजी विधेयक पूर्व के मनरेगा से एक कदम आगे है। अब श्रमिकों को केवल 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्राप्त है।

शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री, भारत



वीबीजीरामजी विधेयक में भ्रष्टाचार को रोकने के साथ-साथ पीएम गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान, जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा एव रोजी-रोटी से जोड़ने का प्रावधान है।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

गिरते रुपये को रोकने के लिए तेज जीडीपी ग्रोथ काफी नहीं है

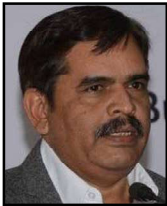
1947 में आजादी के बाद से, भारतीय रुपये की अमरीकी डॉलर के मुकाबले धीरे-धीरे कमजोर होने की प्रवृत्ति रही है। 2024 में 3.30 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर से गिरता हुआ 2025 के मध्य तक 83.4 रुपये और दिसंबर 2025 तक लगभग 90 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर हो गया। रुपये की कमजोरी की रतार दशकों में अलग-अलग रही है, जो घरेलू पॉलिसी और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक हालात दोनों को दिखाती है। शुरुआती सालों (1947-1966) में, ब्रिटिश पाउंड से जुड़े स्थिर विनिमय डर के तहत रुपया लगभग 4.4 प्रतिशत वार्षिक की दर से गिरा। 1966 और 1976 के बीच, 1966 के अवमूल्यन और कड़े नियमन के बाद अवमूल्यन सालाना 1.8 प्रतिशत तक धीमा हो गया। 1976-1986 के बीच तेल के झटकों और आर्थिक दबाव की वजह से हर साल 3.5 प्रतिशत की थोड़ी ज्यादा गिरावट देखी गई, जबकि 1986-1996 में सबसे ज्यादा 10.9 प्रतिशत सालाना गिरावट देखी गई, जो भुगतान शेष संकट और बाजार निर्धारित विनिमय दर की वजह से हुई। उदारीकरण के बाद, 1996 के बाद से, रुपये की गिरावट में कमी आई। 1996-2004 के दौरान हर साल 3.0 प्रतिशत, 2004-2014 में हर साल 2.9 प्रतिशत, और 2014-2024 तक हर साल 3.3 प्रतिशत। कुल मिलाकर, जबकि गिरावट संरचनात्मक है, 1990 के दशक के बाद नीति सुधारों और आर्थिक स्थिरता ने इस प्रवृत्ति को स्थायित्व प्रदान किया। हालांकि, पिछले एक साल में रुपये में 4.7 प्रतिशत की ज्यादा तेजी से गिरावट आई है, यह एक अल्पकालिक घटना लगती है।

यह एक आम धारणा है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था का मतलब है कि उस मुद्रा की ताकत भी मजबूत होगी। लेकिन वर्तमान समय में यह धारणा गलत साबित हो रही है। हम देखते हैं कि पिछले लगभग एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज गति से बढ़ रही है और पिछले लगभग पाँच वर्षों से इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार (जीडीपी) 2014 में 2.07 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025 में 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले दो सालों में, रुपये-डॉलर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव एक जैसा नहीं रहा है। अप्रैल 2023 और 2025 के मध्य के बीच तुलनात्मक रूप से स्थिर विनिमय दर के बाद, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव आया है और सिर्फ 6 महीनों में रुपये में 6 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है। दिलचस्प बात यह है कि पिछली तिमाही में, भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2 प्रतिशत तक पहुँच गई है, जिसे संघर्ष और युद्धों के कारण भूराजनीतिक तनाव और अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुरू किए गए अभूतपूर्व टैरिफ युद्ध के कारण अस्त-व्यस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच काफी अच्छा माना जाता है। तेज आर्थिक ग्रोथ से आम तौर पर किसी देश की करेंसी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन भारत अक्सर एक विरोधाभास का अनुभव करता है जहाँ जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होने पर भी उसकी करेंसी काफी कम हो जाती है। इस विरोधाभास को समझने की जरूरत है, क्योंकि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव जीडीपी ग्रोथ से तय नहीं होता है, बल्कि कई तत्वों से तय होता है, जिनका असर विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति पर पड़ता है।

पहला, विनिमय दर सिर्फ जीडीपी ग्रोथ के बजाय पूंजीगत प्रवाह से ज्यादा चलती है। मजबूत ग्रोथ के बावजूद, अगर विदेशी निवेशक वैश्विक अनिश्चितता, अपने देश/देशों में बढ़ती ब्याज दरों, या रिस्क से बचने की वजह से पूंजी निकालते हैं, तो रुपया कमजोर हो जाता है। भारत में ठीक यही हुआ है। 2025 में ही, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआई) ने 15 दिसंबर, 2025 तक भारतीय स्टॉक मार्केट से 18.4 बिलियन अमरीकी डॉलर निकाले, भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि अपने ही कारणों से। दूसरा, मजबूत होने के बजाय, ज्यादा जीडीपी ग्रोथ, रुपये की गिरावट का कारण भी बन सकती है। भारत में ज्यादा ग्रोथ अक्सर आयात को बढ़ाती है, खासकर कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और पूंजीगत सामान के लिए। बढ़ते आयात से डॉलर की माँग बढ़ती है और रुपये पर दबाव पड़ता है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मशीनरी और कई दूसरे क्षेत्रों की मैनुफैक्चरिंग के लिए कलपुर्जों और कच्चे माल का आयात जरूरी हो जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ती है। इसके अलावा, बड़ी हुई मैनुफैक्चरिंग निर्यात से ज्यादा देश में ही उपभोग हो जाती है। गौरतलब है कि भारत के वस्तु व्यापार में घाटा 2023-24 में 240 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 282.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। तीसरा, डॉलर के दबदबे और दुनिया भर में मॉनेटरी सख्ती से भी रुपया कमजोर हो रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के दायरे से बाहर है। अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा सख्ती के समय, ज्यादातर करेंसी के मुकाबले डॉलर मजबूत होता है। ऐसे समय में, रुपये में गिरावट दुनिया भर में डॉलर की मजबूती को दिखाती है, घरेलू कमजोरी को नहीं। चौथी बात, महंगाई से करेंसी की वैल्यू में गिरावट आती है। भारत के मामले में, अतीत में अधिक महंगाई रुपये के कमजोर होने का एक बड़ा कारण रही है। पिछले एक दशक में, विशेषकर हाल के वर्षों में, कीमतें काफी हद तक स्थिर रही हैं और इसी के साथ एक्सचेंज रेट में भी अपेक्षातः स्थिरता देखी गई है। पाँचवीं बात, भारत की अधिकांश ग्रोथ निर्यात के बजाय घरेलू खपत और सार्वजनिक निवेश से संचालित होती है। जब ग्रोथ घरेलू मांग से आती है, तो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में समान अनुपात में वृद्धि हुए बिना यह अपने आप करेंसी की मजबूती में नहीं बदलती। छठी बात, कई बार सरकार स्वयं निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए रुपये की कीमत कम होने देती है या उसे प्रोत्साहित करती है। इसलिए, कभी-कभी रुपये की गिरावट एक नीति होती है, न कि किसी आर्थिक विफलता का संकेत। अर्थशास्त्री और नीति-निर्माता आमतौर पर मानते हैं कि रुपये में सीमित गिरावट निर्यात को समर्थन दे सकती है, गैर-जरूरी आयात को हतोत्साहित कर सकती है और घरेलू उद्योग की रक्षा कर सकती है।

वास्तव में, उच्च ग्रोथ वास्तविक आर्थिक विस्तार को दर्शाती है, जबकि रुपये का मूल्य सापेक्ष कीमतों, पूंजी प्रवाह और वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करता है। दोनों का एक साथ होना कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि लेकिन संरचनात्मक रूप से आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है।

समय की आवश्यकता है नया रोजगार गारंटी विधेयक



देश में कई विशेषज्ञों द्वारा मनरेगा का विरोध लंबे समय से हो रहा था इसके चलते कृषि और उद्योग क्षेत्र में श्रमिकों की कमी हो रही है। हालाँकि कृषि में श्रमिकों की कमी की समस्या को कुछ हद तक नए अधिनियम में हल करने का प्रयास हुआ है लेकिन मनरेगा के कारण उद्योगों और कृषि की सहायक गतिविधियों हेतु श्रमिकों की कमी के समाधान का भी प्रयास करना जरूरी था।

— डॉ. अश्वनी महाजन

मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, एक अधिकार-आधारित ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसे 2005 में अधिनियमित किया गया और फरवरी 2006 से लागू किया गया। यह भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को राज्य से भुगतान युक्त काम की मांग करने का कानूनी अधिकार देता है।

इस अधिनियम के तहत, किसी भी ग्रामीण परिवार का 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी वयस्क सदस्य काम के लिए आवेदन कर सकता है। सरकार पर प्रति वित्तीय वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों तक अकुशल श्रम कार्य उपलब्ध कराने की कानूनी बाध्यता है, और यदि लिखित या मौखिक मांग के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता, तो राज्य को बेरोजगारी भत्ता देना होता है। इस कारण मनरेगा केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है।

दुनिया भर में कहीं भी इस स्तर पर रोजगार के अधिकार का कोई योजना नहीं है। अपनी विशालता और कानूनी संरचना के कारण विशिष्ट है। यह योजना करोड़ों ग्रामीण नागरिकों के लिए है और उन्हें रोजगार एक वैधानिक अधिकार देता है। सूखा, कृषि संकट और कोविड-19 महामारी जैसे आर्थिक झटकों के समय इसने आर्थिक सुरक्षा कवच की भूमिका निभाई, जब लाखों प्रवासी श्रमिक गांव लौट आए और इसी योजना पर निर्भर रहे।

इस योजना में कुछ बड़े बदलाव प्रस्तावित करते हुए संसद में विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक, 2025 (वीबी-जी राम जी) पारित कर दिया गया है और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के बाद अब यह विधेयक मनरेगा का स्थान लेगा। जहाँ सरकार नए विधेयक को विकसित भारत के लिए एक सुधार के रूप में प्रस्तुत कर रही है वहीं विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा है।

विपक्ष का कहना है कि सरकार जानबूझकर इस कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाकर राजनीति कर रही है क्योंकि इस विधेयक का संक्षिप्त नाम वीबीजीआरएएमजी या यूँ कहें तो 'विकसित भारत जी राम जी' हो जाएगा। विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा है। विधेयक के खिलाफ सारी बहस कानून में बदल पर बहस से कहीं अधिक वाक् युद्ध का रूप ले चुकी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस विधेयक को विस्तार से समझा जाए कि वास्तव में इसके प्रावधान क्या हैं और इससे देश और ग्रामीण भारत को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है?

2005 में बनाए गए इस अधिनियम के पीछे सोच यह थी कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बेरोजगारी के कारण गरीबी से बचाने के लिए उन्हें आमदनी की गारंटी हो, लेकिन इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यों जैसे जल संरक्षण परियोजनाएं, सिंचाई नहरें, ग्रामीण सड़कें, बाढ़ नियंत्रण संरचनाएं और भूमि विकास से जुड़े कार्य भी किए जा सकें।

इस योजना में वित्त की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, क्योंकि इस अधिनियम के पीछे सोच यह थी कि रोजगार एक अधिकार है और वो नहीं मिलने पर सरकार को रोजगार देना अनिवार्य है और कोई भी ऐसा व्यक्ति यदि स्वयं को पंजीकृत करवाए तो सरकार को उसे

100 दिन का रोजगार देना होगा, जिसके तहत उपरोक्त निर्माण कार्यों में उनका उपयोग किया जा सकेगा।

समझना होगा कि यह योजना रोजगार की माँग से चलती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सालों में जहाँ इस योजना में मजदूरी की दर बढ़ा कर उसे आकर्षक बनाया गया है, लेकिन रोजगार के लिए पंजीकृत करने हेतु दिवसों में भारी कमी आई है। इसका अभिप्राय है कि ग्रामीण लोगों को अन्य स्रोतों से अतिरिक्त रोजगार मिलने लगा है जो मनरेगा से अधिक आकर्षक है। ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। आज विकसित भारत बनने का संकल्प दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होता जा रहा है। 2005 से अभी तक देश में बहुत बदलाव आ चुका है। ऐसे में सरकार का मानना है कि मनरेगा कानून में भी आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

अब राज्य भी करेंगे फंडिंग

हालाँकि विधेयक में मनरेगा में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिन तक और वनवासी क्षेत्रों में तो 150 दिनों तक रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है, लेकिन अब उसका वित्तीयन अकेले केंद्र सरकार नहीं बल्कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का दायित्व होगा। गौरतलब है कि 2005 केंद्रीय राजस्व में राज्य सरकारों का हिस्सा मात्र 32 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 42 प्रतिशत हो चुका है। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों के हिस्से को यही कह कर बढ़ाया था ताकि वे कल्याणकारी योजनाओं का भार वहन कर सकें। लेकिन नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो पहले ही बन चुका था, उसमें राज्यों पर इसका भार नहीं डाला जा सकता था।

नरेगा, 2009 में बन गया था मनरेगा

हालाँकि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

गारंटी एक्ट (नरेगा) 2005 में पास हुआ था और इसे 2006 में लागू किया गया था ताकि रोजगार के अधिकार को कानूनी मान्यता मिल सके। तब इस कार्यक्रम का नाम नरेगा था। 2009 में तब की यूपीए की सरकार ने इसका नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया था। अब जब इस योजना का नया रूप संसद ने प्रस्तावित किया है, और देश के विकसित भारत के संकल्प के बीच, नाम में बदलाव होना भी स्वाभाविक था, जो इत्तेफाक से देश के आराध्य भगवान राम के नाम से मिलता-जुलता है। इसी बात का विपक्ष विरोध कर रहा है।

खेती के लिए श्रमिक भी मिलेंगे

मनरेगा का उद्देश्य बेरोजगारी के दिनों में आय-सुरक्षा देना था, परंतु यदि कृषि मौसम में श्रमिक मनरेगा की ओर आकर्षित रहते थे। ऐसे में खेतों में श्रमिकों की कमी के चलते मजदूरी लागत बढ़ जाती है, जिससे किसान की लागत में वृद्धि हो जाती है और खेती की प्रतिस्पर्धात्मकता घटती है। इस नए विधेयक में इस समस्या का समाधान निकाला गया है और रोजगार गारंटी कार्यक्रम में खेती के लिए आवश्यक 60 दिनों के लिए इस कार्यक्रम को स्थगित रखने का प्रावधान है। इसके साथ ही अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों में भी समय के साथ बदलाव करते हुए आज की आवश्यकता के अनुरूप, जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजी-रोटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, और खराब मौसम की घटनाओं को कम करने को शामिल करने के साथ-साथ, इस योजना को को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ भी जोड़ा गया है।

भ्रष्टाचार पर लगाम

मनरेगा का सबसे बड़ा दोष यह था कि तमाम प्रयासों के बावजूद इसमें

भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा था। ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर भ्रष्टाचार के कारण बड़ी मात्रा में सरकारी धन की लूट हो रही थी। ऐसी कई योजनाएं ध्यान में आती थी जिसमें है कागजों पर ही तमाम निर्माण हो जाते थे जिनका धरातल पर कोई अस्तित्व ही नहीं होता था। नए अधिनियम में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्रावधान है, जिसमें लेन-देन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, योजना निर्माण एवं निगरानी के लिए भू-स्थानिक (जियोस्पेशियल) प्रौद्योगिकी, वास्तविक समय में निगरानी हेतु मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित डैशबोर्ड, तथा साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उसमें भ्रष्टाचार पर बड़ा अंकुश लगाया गया है उसी तर्ज पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए रोजगार गारंटी योजना में भी भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा।

देश में कई विशेषज्ञों द्वारा मनरेगा का विरोध लंबे समय से हो रहा था इसके चलते कृषि और उद्योग क्षेत्र में श्रमिकों की कमी हो रही है हालाँकि कृषि में श्रमिकों की कमी की समस्या को कुछ हद तक नए अधिनियम में हल करने का प्रयास हुआ है लेकिन मनरेगा के कारण उद्योगों और कृषि की सहायक गतिविधियाँ हेतु श्रमिकों की कमी के समाधान का की समस्या के समाधान का भी प्रयास करना जरूरी था। विपक्ष संसद में नामकरण जैसे गैर जरूरी मुद्दों को उठाने की बजाए यदि नए अधिनियम में देश की आवश्यकता के अनुरूप प्रावधान शामिल कराने हेतु बहस करता, तो मनरेगा के इस नए अवतार में कुछ और सुधार भी शामिल किए जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। □□

वीबी जीरामजी विधेयक—2025

विकसित गांव की बुनियाद पर विकसित भारत का सपना



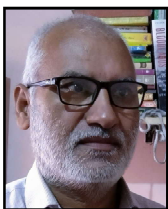
महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों से पारित विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वी.बी. जीरामजी विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह कानून बन गया है। यह कानून मनरेगा की जगह लेगा। इस नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में पहले के 100 दिन की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। नए कानून में 15 दिन के भीतर मजदूरी के भुगतान को अनिवार्य बनाया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोकसभा से पास विकसित भारत जीरामजी विधेयक 2025 के माध्यम से केंद्र की सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों को लागू करने और विकसित गांव की बुनियाद

पर विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रही है।

मालूम हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से देश में वर्ष 1960-61 में जनशक्ति कार्यक्रम बनने से लेकर मनरेगा तक समय-समय पर विभिन्न योजनाएं बनती रही हैं। किसी योजना से लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता या उसमें किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका पाई जाती है तो उसकी जगह नई योजनाएं लाने का भी क्रम चलता रहा है। इस क्रम में केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 में नरेगा की शुरुआत की थी। प्रारंभ में इसे चिन्हित 200 जिलों में लागू किया गया था। वर्ष 2009 में नरेगा योजना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया तथा मनरेगा का दायरा भी बढ़ाते हुए इसे देशव्यापी किया गया।

मनरेगा के लागू होने के बाद से ही इसके क्रियान्वयन के स्तर पर गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की जा रही थी। हाल के महीनों में मनरेगा में धांधली के कई मामले प्रकाश में आए। पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों से मनरेगा में मनमानी किए जाने की खबरें आए दिन प्रकाशित होती रही। वित्त वर्ष 2025-26 में 23 राज्यों की निगरानी से पता चला कि मनरेगा के तहत व्यय के अनुरूप कार्य नहीं मिला। जहां मानव श्रम की आवश्यकता थी वहां मशीन का उपयोग हुआ। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में राज्यों द्वारा लगभग 200 करोड़ रुपए का दुरुपयोग हुआ। ऐसे में लीकेज, कमजोर सत्यापन और खराब अनुपालन जैसे उलझे हुए मुद्दों के लिए एक मुकम्मल योजना प्रारूप की जरूरत थी। प्रस्तुत वीबी जीरामजी अधिनियम 2025 एक स्वच्छ, डिजिटल रूप से शासित, जवाबदेही और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करता है।

नए अधिनियम में खर्च की बढ़ी जिम्मेवारी राज्यों पर डाली गई है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़ दें तो बाकी राज्यों को अब कुल लागत का 40 प्रतिशत खर्च उठाना होगा। सरकार का अनुमान है कि नई योजना में पहले साल का खर्च लगभग 1.51 लाख



ऐसा नहीं है कि मनरेगा को पहले बदलने के प्रयास नहीं हुए। सरकार ने इसके कई नियमों में समय-समय पर बदलाव किया है। हालांकि, इस प्रणाली में कुछ कमियां थीं, जिनका खुलासा हाल के वर्षों में हुआ है।
—अनिल तिवारी

करोड़ होगा, जिसमें केंद्र सरकार 96000 करोड़ खर्च करेगी, बाकी खर्च का भार राज्यों को वहन करना पड़ेगा।

इसमें कोई दो राय नहीं कि नये अधिनियम वीबी जीरामजी 2025 में शामिल किए गए प्रावधान मनरेगा की तुलना में बड़े उन्नयन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो रोजगार, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाते हुए संरचनात्मक त्रुटियों में सुधार का दावा करते हैं। मनरेगा के तहत 100 दिन के काम की गारंटी की जगह वीबी जीरामजी योजना में काम की अवधि को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है वहीं किसानों के लिए श्रमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्ष में 60 दिन की कार्य रहित अवधि को अनिवार्य बनाया गया है।

बावजूद कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं, जिसे लेकर लोगों के मन में आशंकाएं हैं। इस विधेयक के पास होने से पहले ही विपक्ष इसके नाम से लेकर इसके नियम-कायदों तक पर सवाल उठा चुका है। बजट को लेकर भी चिंता है। राज्यों के लिए इस अतिरिक्त बोझ को उठाना मुश्किल हो सकता है। इसी तरह काम के बढ़े हुए दिनों का तब तक कोई अर्थ नहीं है, जब तक कि वास्तव में इतना काम ना मिले। वर्तमान की हकीकत है कि वर्ष 2024-25 में केवल 40.5 लाख परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार मिल सका था, यानी काम मिलने का औसत केवल 50 दिन ही रहा। जी राम जी योजना में केंद्र ने राज्यों पर ज्यादा जिम्मेवारी तो डाल दी है पर अधिक अधिकार अपने पास रखे हैं। प्रदेश को कितना काम देना है, यह केंद्र तय करेगा। इससे विपक्ष शासित राज्यों के साथ मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया नया विधेयक वीबी जीरामजी 2025 क्या है और इसमें मनरेगा से कितने अलग नियम हैं? नए नियम पहले के मुकाबले क्या-क्या

बदलाव ला सकते हैं? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस बिल में क्या है? किसानों-मजदूरों के लिए विधेयक में क्या सुविधाएं देने की बात कही गई है? और आखिर में, मनरेगा में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?

क्या है वीबी जीरामजी विधेयक 2025?

कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र सरकार अब मनरेगा के तहत ग्रामीणों को सिर्फ रोजगार तक सीमित न रखने पर जोर दे रही है और नए विधेयक से ऐसे मॉडल की स्थापना करने की तैयारी कर रही है, जिससे गांव के स्तर पर विकास कार्यों की दिशा तय हो। विधेयक में जिन चार प्राथमिकताओं का जिक्र किया गया है, उन्हें लेकर रोजगार और विकास कार्यों के क्षेत्र भी बताए गए हैं।

जल सुरक्षा के तहत गांवों में अब जल संरक्षण संरचनाएं, सिंचाई सहायता, भूजल पुनर्भरण, जल निकायों को पुनर्जीवित करने का काम, वाटरशेड एरिया का विकास का काम और वनीकरण जैसे जल संबंधित कार्यों को बढ़ाया जाएगा।

मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा के मोर्चे पर वीबी जीरामजी के तहत ग्रामीण सड़कों, सार्वजनिक भवनों, स्कूलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता प्रणालियों, नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी सुविधाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत आवास कार्यों पर जोर रहेगा।

इसी तरह आजीविका से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर में सरकार कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, भंडारण, बाजार, कौशल विकास और सर्कुलर आर्थिक मॉडल से जुड़ी उत्पादक परिसंपत्तियों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका, मूल्य संवर्धन और आय के विविध अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखेगी।

इसके अलावा मौसमी घटनाओं के लिए विशेष कार्य की प्राथमिकता पर जोर देकर सरकार ऐसे समय में भी

रोजगार के मौके बरकरार रखना चाहती है, जब अधिकतर स्थानों पर काम के लिए स्थिति प्रतिकूल रहती हैं। इतना ही नहीं, इनसे ग्रामीण क्षेत्र को आपदा के समय में तैयार रखने पर भी जोर दिया जाएगा। आश्रय स्थल, तटबंध निर्माण बाढ़-प्रबंधन संरचनाएं, पुनर्वास कार्य और वनाग्नि नियंत्रण उपाय जैसे कार्यों के जरिए मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा।

मनरेगा से कितना अलग है वीबी जीरामजी?

केंद्र सरकार का कहना है कि नए नियमों से मनरेगा की ढांचागत कमियों को दूर किया गया है। सबसे पहले तो योजना के तहत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले सभी कार्यों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टैक में शामिल किया जाएगा।

विधेयक में दी गई जानकारी के मुताबिक, गांवों के लिए एकीकृत ढांचा तैयार करने से देशभर में उत्पादक, टिकाऊ, सुदृढ़ और बदलाव में सक्षम ग्रामीण परिसंपत्तियों (एसेट्स) का निर्माण सुनिश्चित होगा। केंद्र और राज्य 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य के तहत इन परिसंपत्तियों को आगे बढ़ाने की योजनाएं भी साझा तौर पर तैयार करेंगे। यानी एक राष्ट्रीय नीति के तहत काम के बिखराव को समेटा जाएगा और तय दिशा में इसे आगे बढ़ाया जाएगा।

विधेयक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था

विधेयक के मुताबिक, इसमें ग्रामीण विकास के लिए सभी कार्यों की पहचान स्थानीय स्तर पर तैयार 'विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं' के जरिए की जाएगी। इन विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक जानकारी जुटाएगी, इसके बाद ही कार्यों का आवंटन होगा।

उदाहरण के तौर पर विकास कार्य से जुड़ी योजना की जानकारी सबसे पहले ब्लॉक, फिर जिला और इसके बाद राज्य स्तर से जुटाई जाएगी। इन्हें इकट्ठा करने के बाद क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए एक एकीकृत, समग्र सरकारी ग्रामीण विकास संरचना का निर्माण तय कराए जाने की बात कही गई है।

खास बात यह है कि इन विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा और पीएम गति-शक्ति के साथ इस योजना को जोड़ा जाएगा। इससे काम में पारदर्शिता लाने की कोशिश की जाएगी। विधेयक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित एक व्यापक गवर्नंस इकोसिस्टम को अनिवार्य किया गया है। नई योजना में मजदूरों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जीपीएस आधारित प्लानिंग और निगरानी, मोबाइल-आधारित रिपोर्टिंग के साथ रियल-टाइम डैशबोर्ड, एआई-सक्षम विश्लेषण और सोशल ऑडिट तंत्र शामिल हैं।

ग्राम पंचायतें हर हफ्ते ग्राम पंचायत भवनों में कामों की स्थिति, भुगतान, शिकायतें, कामों की प्रगति, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत करेंगी। इसके अलावा काम की साप्ताहिक जानकारी स्वचालित रूप से तैयार की जाएगी और भौतिक-डिजिटल दोनों पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे।

राज्यों पर प्रभाव

वीबी जीरामजी में काम न देने की अवधि राज्य निर्धारित करेंगे। राज्य अग्रिम रूप से अधिसूचना जारी कर, एक वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिनों की ऐसी अवधि निर्धारित कर सकेंगे। वीबी जीरामजी के तहत प्रस्तावित गारंटी को प्रभावी बनाने के लिए राज्यों पर भी योजना का बोझ

डालने का प्रावधान है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि वीबी जीरामजी के कानून बनने के बाद की तिथि से छह माह के अंदर राज्यों को एक योजना तैयार करनी होगी। यह योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में अलग से संचालित की जाएगी। इसके तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार योजना में आने वाले कुल खर्च का 90 फीसदी मुहैया कराएगा, जबकि 10 फीसदी संबंधित प्रशासनों/सरकारों को खर्च करने होंगे। वहीं, बाकी सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार 60 फीसदी राशि मुहैया कराएगी, जबकि 40 फीसदी फंड का बोझ राज्य उठाएंगे।

किसानों-मजदूरों की बेहतरी के प्रावधान

चूंकि राज्य सरकारें तय कर सकती हैं कि किस अवधि में बुवाई और कटाई का ध्यान रखते हुए वीबी-जी राम जी के तहत 60 दिन के लिए काम रोकना है, ऐसे में किसानों को अपने खेतों पर काम करने के लिए मजदूरों की कमी नहीं पड़ेगी। वहीं मजदूरों को भी मनरेगा के काम से अतिरिक्त अपने लिए बाकी स्रोतों से वेतन जुटाने में मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त मजदूरों के लिए काम के दिन बढ़ाकर 100 से 125 किए गए हैं। यानी उन्हें आर्थिक तौर पर भी ज्यादा रकम हासिल करने में मदद मिलेगी।

क्या वेतन भी बदलेगा

विधेयक में इससे जुड़ा कोई प्रावधान फिलहाल नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि मजदूरी दरें केंद्र सरकार की तरफ से ही अधिसूचित होंगी। जब तक नई दरें जारी नहीं होतीं, तब तक महात्मा गांधी नरेगा के तहत मौजूदा मजदूरी दरें लागू रहेंगी। दूसरी तरफ अगर 15 दिनों के

अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो निर्धारित दरों पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है, जिसका भुगतान पहले की तरह पूरी तरह राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

असली मंशा

ऐसा नहीं है कि मनरेगा को पहले बदलने के प्रयास नहीं हुए। सरकार ने इसके कई नियमों में समय-समय पर बदलाव किया है। हालांकि, इस प्रणाली में कुछ कमियां थीं, जिनका खुलासा हाल के वर्षों में हुआ है।

पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में जांच से पता चला कि कई कार्य कागजों पर ही थे, नियमों का उल्लंघन हुआ और धन का दुरुपयोग किया गया, जिसके कारण फंडिंग रोक दी गई।

23 राज्यों में वित्तीय वर्ष 2025-26 में निगरानी से सामने आया कि कई कार्य या तो मौजूद नहीं थे या खर्च के अनुपात में नहीं थे, जहां मजदूरी आधारित कार्य होने चाहिए थे, वहां मशीनों का इस्तेमाल हुआ और एनएमएमएस उपस्थिति को बड़े पैमाने पर चकमा दिया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न राज्यों में कुल 193.67 करोड़ का दुरुपयोग पाया गया। महामारी के बाद के दौर में केवल 7.61 प्रतिशत घरों ने ही 100 दिनों का कार्य पूरा किया।

योजना में पारदर्शिता

गड़बड़ी रोकने के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग किया जाएगा। साथ ही निगरानी के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर स्टीयरिंग कमेटियां बनाई जाएंगी। जीपीएस और मोबाइल से काम की निगरानी की जाएगी। ऐसे में रियल-टाइम में जानकारी दिखाने वाले एआईएस डैशबोर्ड भी होगा। हर हफ्ते काम और खर्च का सार्वजनिक खुलासा किया जाएगा। हर ग्राम पंचायत में साल में दो बार सख्त सोशल ऑडिट भी किया जाएगा। □□

प्रासंगिक है युगानुकूल स्वदेशी चिंतन

भारतीय आर्थिक चिंतन सदैव मानव-केंद्रित रहा है। यहाँ अर्थव्यवस्था को केवल धन-उत्पादन की तकनीक या संसाधनों के प्रबंधन का विज्ञान नहीं माना गया, बल्कि मानव जीवन की संपूर्ण साधना के एक अंग के रूप में देखा गया। इसी परंपरा को आधुनिक युग में दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के रूप में पुनर्स्थापित किया। यह दर्शन बताता है कि मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा—इन चारों का एकीकृत व्यक्तित्व है। इसलिए किसी भी आर्थिक मॉडल का उद्देश्य मानव को पूर्णता की दिशा में आगे ले जाना होना चाहिए। उनकी दृष्टि में अर्थशास्त्र केवल “उत्पादन और उपभोग” नहीं है, बल्कि “मानव जीवन और समाज का संतुलित विकास” है।

स्वदेशी इस संतुलन का आधार है। दीनदयाल जी का मानना था कि प्रत्येक समाज का आर्थिक ढांचा उसकी भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं के अनुसार होना चाहिए। कोई भी विदेशी मॉडल भारतीय जीवन-पद्धति को जड़ से नहीं समझ सकता। अतः भारतीय अर्थनीति का आधार भारतीयता ही हो सकती है। दीनदयाल जी ने स्पष्ट किया है कि भारत न पश्चिमी पूंजीवाद की नकल करे और न ही साम्यवाद की। दोनों प्रणालियाँ मनुष्य को उसकी संपूर्णता में नहीं देखती। एक उसे उपभोग की मशीन बना देती है और दूसरी उसे उत्पादन का मात्र उपकरण। एकात्म मानववाद इन दोनों अतियों से अलग मध्यम मार्ग नहीं, बल्कि एक मौलिक भारतीय वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करता है जिसमें विकास का उद्देश्य मानव-कल्याण और समाज का सामंजस्य है।

महात्मा गांधी की स्वदेशी-नीति भी इसी व्यापक मानवीय चेतना से प्रेरित थी। गांधीजी के अनुसार, स्वदेशी केवल अर्थव्यवस्था का उपकरण नहीं, बल्कि “कर्तव्य का रूप” है। स्थानीय आवश्यकताओं को स्थानीय साधनों से पूरा करना न केवल आर्थिक विवेक है, बल्कि सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान की रक्षा भी है। गांधी के चरखा, खादी और ग्रामोद्योग के प्रयोग राष्ट्र के आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे समाज का स्वरूप भी प्रस्तुत करते थे जिसमें श्रम को प्रतिष्ठा, उद्यम को स्वतंत्रता और उपभोग में संयम का स्थान हो। दीनदयाल जी ने इस गांधीवादी भावना को स्वीकार करते हुए यह कहा कि स्वदेशी उत्पादन प्रणाली समाज में “एकात्मता” लाती है, जो ग्राम, उद्योग, कृषि, लघु उद्यम और शहरी अर्थतंत्र को एक शृंखला में जोड़ती है।

यदि हम भारतीय परंपरा में और पीछे जाएँ, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को ही राष्ट्रबल का आधार मानता है। कौटिल्य ने स्पष्ट कहा था कि आर्थिक शक्ति ही राजनीतिक और सैन्य शक्ति का मूल है। उनके अनुसार, एक सशक्त राष्ट्र वही है जो अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग स्वयं कर सके और बाहरी निर्भरताओं को न्यूनतम रखे। कौटिल्य की ‘स्वाम्य’, ‘युक्ति’ और ‘वृत्ति’ की संकल्पनाएँ आज भी स्वदेशी उद्योगों, कृषि सुधारों, खनिज संसाधनों के उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़ती हैं।

स्वदेशी विचार को दत्तोपंत ठेंगड़ी ने आधुनिक औद्योगिक युग में नए सिरे से रूपायित किया। उन्होंने यह बताया कि यदि आर्थिक नीति केवल बाजार की शक्तियों से संचालित होगी, तो समाज में असमानता, बेरोजगारी और आयात-निर्भरता बढ़ेगी। उनका मत था कि भारत की उन्नति का आधार बड़े उद्योगों के साथ लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, कृषि-आधारित उत्पादन, ग्रामीण उद्यमिता और स्थानीय कौशल का पुनरुत्थान होना चाहिए। ठेंगड़ी का चिंतन दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद का ही अनुप्रयोग था, जहाँ आर्थिक विकास को



हमें आज के युगानुकूल चिंतन करने की आवश्यकता है। तकनीक और ज्ञान-विज्ञान के आज के युग में व्यावहारिक चिंतन आवश्यक है। हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता सर्वोपरि है।

— डॉ. धनपत राम अग्रवाल

“राष्ट्र की आत्मा” से अलग नहीं देखा जा सकता।

इन सभी महान चिंतकों की दृष्टियों में एक समान सूत्र है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार मानव, समाज और प्रकृति का संतुलन है, न कि केवल पूँजी का विस्तार। इसीलिए एकात्म मानववाद “धर्म—अर्थ—काम—मोक्ष” की भारतीय चतुष्पदी को अर्थनीति का मार्गदर्शक मानता है। यही कारण है कि दीनदयाल जी के आर्थिक दर्शन में “अंत्योदय”, अंतिम व्यक्ति तक समृद्धि पहुँचाना, विकास का मूल लक्ष्य है। यह लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब अर्थव्यवस्था स्वदेशी संसाधनों, स्थानीय कौशल और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार निर्मित हो।

इस प्रकार स्वदेशी आत्मनिर्भरता का, आत्मसम्मान का और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महाव्रत है। यह आर्थिक स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जागरण भी है। गांधी, दीनदयाल, कौटिल्य और टेंगड़ी — इन सभी की दृष्टि बताती है कि भारत का आर्थिक उत्थान तभी संभव है जब देश अपनी प्राचीन ज्ञान—परंपरा, अपनी सामाजिक संरचना, अपनी प्रतिभा और अपने संसाधनों पर आधारित आर्थिक मॉडल अपनाए। यह मॉडल मनुष्य को साधन नहीं, साध्य मानता है। समाज को प्रतिस्पर्धा का मैदान नहीं, सहकार्य का परिवार समझता है और राष्ट्र को केवल राजनीतिक इकाई नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक चेतना मानता है।

स्वदेशी और एकात्म मानववाद का यह संयुक्त अर्थ—दर्शन आज के वैश्वीकरण, आयात—निर्भरता और असमान आर्थिक ढाँचों के समय में और भी प्रासंगिक हो उठा है। यह भारत के लिए केवल नीति नहीं, बल्कि सभ्यतागत दिशा है, जिसके आधार पर राष्ट्र आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है, समाज में समरसता ला सकता है, और मानवता को एक वैकल्पिक, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक मानवीय विकास पथ दे सकता है।

अर्थव्यवस्था के तीनों विभाग भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया के ही अंग हैं और तदनुसार कृषि, उद्योग तथा सेवा के विभिन्न क्षेत्र सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में समन्वय तथा परस्पर सहयोग के साथ विकास के पथ की दिशा पर चलते हैं। आज आर्थिक नीतियों के दोष के कारण कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग गरीब हैं। आवश्यकता इस बात की है कि कृषक और गावों को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए। स्वावलम्बन के लिये कुटीर तथा लघु उद्योग को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इसके लिये उनको सस्ते ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था तथा आधुनिक तकनीक की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिये। सबसे महत्वपूर्ण बात है उनके उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था और यहाँ स्वदेशी भावना का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतियोगात्मकता को वरीयता मिलनी चाहिये। उपभोक्ताओं के बीच स्वदेशी जीवन पद्धति के प्रति जागरूकता को बढ़ाना भी आवश्यक है।

अत्यंत जरूरी आयातों को छोड़ हमें स्वदेशी तकनीक को और अधिक विकसित करके स्वावलंबी होने की आवश्यकता है। इसके लिये हमारे अनुसंधान क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें निजी औद्योगिक क्षेत्र को जिम्मेवारी लेनी चाहिये क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का तीन चौथाई से ज्यादा हिस्सा निजी क्षेत्र से ही आता है जब कि अनुसंधान का तीन चौथाई से ज्यादा हिस्सा सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। आज का युग बौद्धिक सम्पदा पर आधारित है। अमेरिका और यूरोप की कुल आय का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा सिर्फ पैटेंट और कापी राइट की रॉयल्टीज से आ जाता है जो कि हमारी कुल राष्ट्रीय आय के दोगुना से भी अधिक है। यह मानसिक बदलाव लाना बहुत आवश्यक है। इसका दूरगामी और दीर्घकालीन प्रभाव हमारी कार्यक्षमता

को बढ़ाने और हमारे स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में मिलेगा। धीरे—धीरे मोटर गाड़ी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे और हमारा न सिर्फ आयात घटेगा बल्कि हम अपना निर्यात भी बढ़ा सकेंगे। हमारे मानव संसाधन की मर्यादा बढ़ेगी और बौद्धिक सम्पदा में हम अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकेंगे। अभी हम तकनीक का आयात करते हैं, फिर हम इसका निर्यात करेंगे। अभी हम व्यापार घाटे की स्थिति में हैं और इसकी भरपाई विदेशी ऋण और विदेशी पूँजी से करते हैं, जिसका बोझ बढ़कर 2.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर से भी ज्यादा हमारे देश पर है। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रचार होते हुए भी पिछले वित्त वर्ष 2024–25 में लगभग 115 बिलियन अमरीकी डालर का आयात चीन से हुआ है और निर्यात सिर्फ 15 बिलियन अमरीकी डालर और फलतः व्यापार घाटा 100 बिलियन अमरीकी डालर के लगभग हुआ है। इसकी उल्टी गिनती चालू करने की आवश्यकता है, तभी हमारा रुपया अमरीकी डालर की तुलना में मजबूत हो सकेगा। अभी के दिनों में अमेरिका के भारतीय निर्यातों पर आयात कर बढ़ाने से हमारे लघु उद्योगों के लिए एक नई चेतावनी आई है जिसे हमें अवसर में बदलने की आवश्यकता है। स्वावलम्बन और आत्मनिर्भर भारत की पहचान तभी हो सकेगी जब भारत का रुपया अन्तरराष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बना सकेगा।

स्वदेशी और स्वावलम्बन ही एकमात्र विकल्प है, जो हमारी बौद्धिक क्षमता और हमारी आर्थिक क्षमता को एक प्रखर और समृद्ध राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपना खोया हुआ स्थान प्राप्त करा सकता है। हमें आज के युगानुकूल चिंतन करने की आवश्यकता है। तकनीक और ज्ञान—विज्ञान के आज के युग में व्यावहारिक चिंतन आवश्यक है। हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता सर्वोपरि है। □□

रुपये की कमजोर सेहत और भारत की तेज विकास दर के मायने

भारत आज विश्व की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक महामारी, युद्ध, महंगाई और वित्तीय अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर 6 से 8 प्रतिशत के बीच बनी रही है। यह दर न केवल विकसित देशों से अधिक है, बल्कि अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भी बेहतर मानी जाती है। इसके समानांतर एक और आर्थिक तथ्य लगातार चर्चा में रहता है—अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का गिरता हुआ मूल्य जो 91 के स्तर को पार कर गया है। आम नागरिकों, विद्यार्थियों और निवेशकों के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तब उसकी मुद्रा कमजोर क्यों हो रही है। क्या यह भारत की आर्थिक सेहत पर प्रश्नचिह्न लगाता है, या इसके पीछे कोई व्यापक वैश्विक कारण छिपा है?

किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होता है। जब डॉलर की तुलना में रुपये की कीमत घटती है, तो इसे रुपये का अवमूल्यन कहा जाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि पहले जहाँ एक डॉलर खरीदने के लिए कम रुपये लगते थे, अब उतने ही डॉलर के लिए अधिक रुपये खर्च करने पड़ते हैं। रुपये के मूल्य में गिरावट के पीछे कई आर्थिक कारण होते हैं। भारत कच्चे तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनरी का बड़ा आयातक है। जब आयात अधिक होता है, तो डॉलर की मांग बढ़ती है और परिणामस्वरूप रुपये पर दबाव आता है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने पर वैश्विक निवेश डॉलर की ओर आकर्षित होता है, जिससे भारत जैसे उभरते देशों की मुद्राएँ कमजोर पड़ती हैं।

डॉलर की तुलना में रुपये की कीमत के निर्धारण में विदेशी निवेश की भूमिका भी



रुपये का वर्तमान
उतार-चढ़ाव भारत की
विकास गाथा में बाधा
नहीं, बल्कि वैश्विक
आर्थिक परिवेश की
स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।
भारत अपनी विकास
यात्रा पर आगे बढ़ता
रहेगा और आने वाले
वर्षों में विश्व
अर्थव्यवस्था में और
अधिक मजबूत भूमिका
निभाएगा।
— दुलीचंद कालीरमन



महत्वपूर्ण होती है। जब विदेशी निवेशक भारत में निवेश बढ़ाते हैं, तो डॉलर का प्रवाह देश में आता है और रुपया मजबूत होता है। इसके विपरीत, जब वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण निवेशक अपना पैसा बाहर निकालते हैं, तो रुपये पर गिरावट का दबाव बढ़ जाता है। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि मुद्रा का कमजोर होना हमेशा आर्थिक कमजोरी का संकेत नहीं होता। कई बार यह वैश्विक परिस्थितियों का परिणाम होता है, न कि घरेलू अर्थव्यवस्था की विफलता का।

यदि भारत की विकास दर पर नज़र डालें, तो यह स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कई मजबूत आधार हैं। भारत की बड़ी और युवा आबादी घरेलू खपत को मजबूत बनाए रखती है। उपभोग में निरंतर वृद्धि से उद्योगों और सेवाओं को बढ़ावा मिलता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का तेज़ विस्तार—जैसे यूपीआई, ऑनलाइन भुगतान, स्टार्टअप्स और ई-कॉमर्स, ने आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा दी है। सरकार द्वारा सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और बुनियादी ढांचे में किए जा रहे बड़े निवेश ने रोजगार और उत्पादन को गति दी है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी, बीपीओ, वित्तीय सेवाएँ और पर्यटन जैसे सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

यहाँ यह समझना आवश्यक है कि जीडीपी ग्रोथ और मुद्रा मूल्य हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते। जीडीपी विकास दर मुख्य रूप से घरेलू उत्पादन, सेवाओं और निवेश को दर्शाती है, जबकि मुद्रा का मूल्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पूँजी प्रवाह और वैश्विक वित्तीय बाजारों से जुड़ा होता है। भारत का जीडीपी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि देश के भीतर आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ हैं, लेकिन रुपये का मूल्य इसलिए दबाव में है क्योंकि वैश्विक स्तर पर डॉलर की मांग

गरते रुपये का विकास दर पर प्रभाव पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहा जा सकता। कुछ परिस्थितियों में यह विकास को सहारा भी देता है। निर्यात सस्ता होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ सकती है।

मजबूत बनी हुई है। अमेरिकी डॉलर आज भी दुनिया की सबसे प्रमुख रिज़र्व करेंसी है, और संकट के समय निवेशक इसे सुरक्षित विकल्प मानते हैं।

गिरते रुपये का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई स्तरों पर पड़ता है। एक ओर आयातित वस्तुएँ महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल—डीजल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयों की कीमतें बढ़ने से आम आदमी पर बोझ पड़ता है। आयातित महंगाई घरेलू महंगाई को भी बढ़ा सकती है, जिससे सरकार और रिज़र्व बैंक के सामने चुनौती खड़ी होती है। विदेश यात्रा और विदेश में शिक्षा प्राप्त करना भी महंगा हो जाता है। दूसरी ओर, कमजोर रुपया निर्यातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। आईटी सेवाएँ, फार्मा, टेक्सटाइल और अन्य निर्यात आधारित उद्योग डॉलर में कमाई करते हैं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ती है।

गिरते रुपये का विकास दर पर प्रभाव पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहा जा सकता। कुछ परिस्थितियों में यह विकास को सहारा भी देता है। निर्यात सस्ता होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ सकती है। विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार

अपेक्षाकृत सस्ता लगता है, जिससे लंबी अवधि में निवेश आकर्षित हो सकता है। हालांकि यदि रुपये की गिरावट बहुत तेज़ और अनियंत्रित हो जाए, तो इससे महंगाई बढ़ सकती है और विकास दर पर दबाव पड़ सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

भारत की आर्थिक यात्रा को व्यापक दृष्टिकोण से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि रुपये का धीरे-धीरे कमजोर होना कोई नई या असामान्य घटना नहीं है। पिछले तीन दशकों में भारत ने निरंतर आर्थिक प्रगति की है, जबकि इसी दौरान रुपये का मूल्य भी धीरे-धीरे गिरता रहा है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की मुद्राएँ भी अपने विकास के दौर में लंबे समय तक डॉलर के मुकाबले कमजोर रहीं, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्थाएँ लगातार मजबूत होती गईं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मजबूत अर्थव्यवस्था का अर्थ हमेशा मजबूत मुद्रा नहीं होता।

अंततः यह कहा जा सकता है कि रुपये की गिरती कीमत और भारत की तेज़ विकास दर को विरोधाभास के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के दो अलग-अलग पहलुओं के रूप में देखना चाहिए। भारत की असली ताकत उसके बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, तकनीकी प्रगति और उद्यमशीलता में निहित है। यदि सरकार निर्यात को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने, महंगाई को नियंत्रित रखने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दिशा में निरंतर प्रयास करती रहती है, तो रुपये में स्थिरता आएगी। इस प्रकार, रुपये का वर्तमान उतार-चढ़ाव भारत की विकास गाथा में बाधा नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक परिवेश की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ता रहेगा और आने वाले वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था में और अधिक मजबूत भूमिका निभाएगा। □□

क्यों हो रहा है भारतीय रुपए का अवमूल्यन!

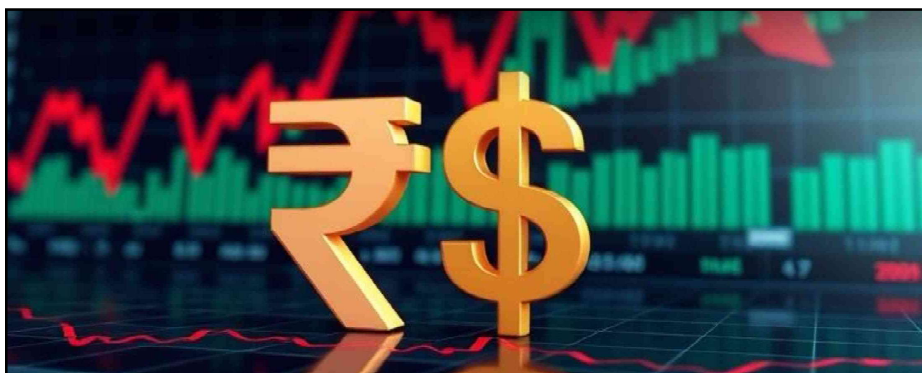
जनवरी 2025 में भारतीय रुपए का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य 85.79 रुपया प्रति अमेरिकी डॉलर था। 23 दिसंबर 2025 को रुपए का बाजार मूल्य लगभग 3.29 प्रतिशत घटकर 89.63 रुपया प्रति डॉलर हो गया। पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए का बाजार मूल्य लगातार गिर रहा है और हाल ही के समय में रुपए के बाजार मूल्य में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। जबकि, वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर पिछली 8 तिमाहियों में सबसे अधिक रिकार्ड 8.2 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ी है तथा खुदरा मुद्रा स्फीति की दर 0.25 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई है। भारत में वृहद अर्थव्यवस्था के विभिन्न मानदंडों के मजबूत बने रहने के बावजूद एशियाई देशों के बीच भारतीय रुपए की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में सबसे तेज गति से गिरी है।

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए की कीमत में गिरावट के मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर आर्थिक जगत में घट रही कुछ घटनाएं हैं, अन्यथा भारतीय अर्थव्यवस्था तो मजबूत स्थिति में बनी हुई है। ट्रम्प प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों से अमेरिका में विभिन्न उत्पादों के होने वाले आयात पर टैरिफ की दरों में वृद्धि किए जाने से वैश्विक स्तर पर विदेश व्यापार में लगातार दबाव बना हुआ है। भारत से अमेरिका को होने वाले उत्पादों के निर्यात पर तो 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया गया है, जिसके चलते भारत से कुछ उत्पादों यथा, रेडीमेड गारमेंट्स, कृषि उत्पाद, लेदर उत्पाद, समुद्री जीवों का उत्पाद, जेम्स एवं ज्वेलरी आदि के अमेरिका को होने वाले निर्यात विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे हैं एवं इससे भारत को अमेरिकी डॉलर का अंतरप्रवाह कम हो रहा है और व्यापार घाटे में वृद्धि दर्ज हो रही है। पिछली तिमाही के दौरान भारत के कुल आयात 18,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रहे हैं जबकि निर्यात केवल 10,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रहे। इस प्रकार, 8,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा दर्ज हुआ है। अक्टूबर 2025 माह में भी भारत का विदेशी व्यापार घाटा 4,100 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रिकार्ड स्तर के ऊपर रहा है। यह, भारत के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है। इससे, भारत में चूंकि अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ रही है अतः भारतीय रुपए के मूल्य पर दबाव बढ़ रहा है।

दूसरे, विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार में पूर्व में किए गए अपने निवेश पर लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से एवं अपने निवेश को तेजी से उभर रहे अन्य देशों के शेयर बाजार में अपने निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से, पिछले कुछ समय से, भारतीय पूंजी बाजार से लगातार अपने निवेश को निकाल रहे हैं। वर्ष 2025 में अभी तक विदेशी संस्थागत



कभी कभी वैश्विक परिस्थितियों के बीच कई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन होने देते हैं और यह कदम अंततः लम्बी अवधि में देश हित में ही माना जाता है।
— प्रहलाद सबनानी



निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 1.48 लाख करोड़ रुपए (1,640 करोड़ अमेरिकी डॉलर) मूल्य की निकासी की है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार से की जा रही निवेश की निकासे के चलते भी भारतीय रुपए पर दबाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वे भारत में अमेरिकी डॉलर में किए गए अपने निवेश को अमेरिकी डॉलर में ही निकाल रहे हैं और इससे अमेरिकी डॉलर की कीमत (मांग) बढ़ रही है तथा रुपए की कीमत गिर रही है।

किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन होने लगता है तो उस देश में आयात होने वाले उत्पादों की कीमत महंगी हो जाती है। परंतु, इससे देश के निर्यातकों को जरूर लाभ होता है क्योंकि अमेरिकी डॉलर के एवज में उन्हें अधिक स्थानीय मुद्रा की प्राप्ति होती है। इस सिद्धांत के अनुसार ही, अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत के गिरने से भारत द्वारा अन्य देशों से किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों के आयातित उत्पाद भारतीय बाजारों में भी महंगे हो सकते हैं इस प्रकार अन्य देशों से मुद्रा स्फीति का आयात भारत में होने लग सकता है। उदाहरण के लिए भारत द्वारा कच्चे तेल के आयात की कीमत, भारतीय रुपए के अवमूल्यन के चलते, यदि बढ़ जाती है तो इससे भारत में मुद्रा स्फीति की दर भी बढ़ जाएगी क्योंकि भारत में तब कच्चे तेल का आयात उंची दरों पर हो रहा होगा। इसके ठीक विपरीत, भारत के निर्यातकों को अपने विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर अमेरिकी डॉलर के एवज में अधिक रुपए की प्राप्ति होने लगेगी, इससे उन्हें अधिक लाभ होने की सम्भावना बढ़ जाएगी। इन परिस्थितियों के बीच, सामान्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रुपए के मूल्य में तेज गति से हो रहे अवमूल्यन को रोकने की दृष्टि से अमेरिकी डॉलर की बाजार में उपलब्धता

बढ़ाते हुए मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया जाता है। मध्य सितम्बर 2025 की अवधि तक भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर बाजार में उपलब्ध कराए थे। परंतु, हाल के समय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। दरअसल, वैश्विक स्तर पर विदेशी व्यापार में निर्मित हुई अस्थिरता की स्थिति से भारतीय निर्यातकों को बचाने की दृष्टि से भी भारतीय रुपए का अवमूल्यन होने दिया जा रहा है।

अर्थव्यवस्था पर होने वाले विपरीत प्रभाव से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के उद्देश्य से भारत के पास 68,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर का मजबूत विदेश मुद्रा भंडार उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक जब भी चाहे इस विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करते हुए भारतीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। परंतु, यदि लम्बी अवधि की दृष्टि से देखा जाय तो भारत को विभिन्न उत्पादों के आयात घटाकर, विभिन्न उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करते हुए अपने विदेशी व्यापार घाटे पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। भारत में मुख्य रूप से कच्चा तेल एवं स्वर्ण का सबसे अधिक आयात किया जाता है। कच्चे तेल के आयात को कम करने एवं अपनी ऊर्जा की लगातार बढ़ती जरूरतों को पूरा करने हेतु भारत को नवीकरणीय ऊर्जा (ग्रीन ऊर्जा) के उत्पादन को बढ़ाना ही होगा। केंद्र सरकार इस संदर्भ में बहुत प्रयास कर रही है एवं अपनी ऊर्जा की जरूरतों को, विंड पावर एवं सौर ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करते हुए, पूरा करने के प्रयास कर रही है। इसी प्रकार, स्वर्ण के उत्पादन को भारत में ही बढ़ाकर इसके आयात को किस प्रकार कम किया जा सकता है, इस विषय पर भी गम्भीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, भारत विभिन्न उत्पादों की लागत को कम कर

देश में निर्मित उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बना सकता है।

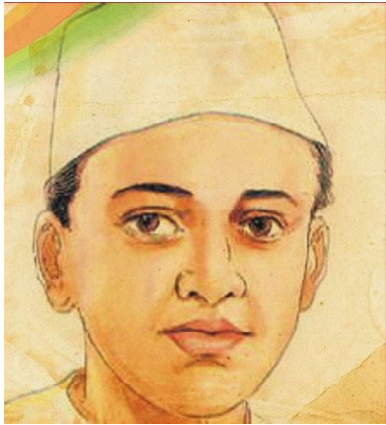
ब्याज दरों को कम करते हुए पूंजी की लागत को कम करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 5 दिसम्बर 2025 को घोषित अपनी मुद्रा नीति (मोनेटरी पॉलिसी) में रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की कमी करते हुए इसे 5.50 प्रतिशत से घटाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही, दिनांक 21 नवम्बर 2025 से भारत में चार श्रम संहिताओं (वेतन संहिता 2019, औद्योगिक सम्बंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 एवं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता, 2020) को लागू कर दिया गया है। इन चार श्रम संहिताओं के माध्यम से भारत में पूर्व में लागू 29 श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाए जाने का प्रशंसनीय प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया गया है।

भारत के विदेशी मुद्रा भुगतान संतुलन को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी दिया जाना चाहिए। जिससे, विदेशी पर्यटक भारत में धार्मिक पर्यटन के लिए आकर्षित हों एवं भारत को विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बढ़े। अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर का निर्माण कर पूरे अयोध्या नगर में आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। इसी प्रकार, वाराणसी, माता वैष्णोदेवी मंदिर, उज्जैन, प्रयागराज, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ आदि नगरों में आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। फलस्वरूप इन नगरों में श्रद्धालुओं (विदेशी पर्यटकों सहित) की संख्या में अपार वृद्धि दृष्टिगोचर है।

कुल मिलाकर कभी कभी वैश्विक परिस्थितियों के बीच कई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन होने देते हैं और यह कदम अंततः लम्बी अवधि में देश हित में ही माना जाता है। □□

(महलाद सक्नानी, सेवागिवृत उपप्राध्यापक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर)

स्वदेशी आंदोलन के अमर शहीद बाबू गेनू सैद जी



भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल बड़े नेताओं और प्रसिद्ध क्रांतिकारियों तक सीमित नहीं है। इस संघर्ष में असंख्य ऐसे साधारण लोग भी थे, जिन्होंने बिना किसी पद, पहचान या स्वार्थ के देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन्हीं गुमनाम लेकिन महान बलिदानियों में एक नाम है स्वदेशी आंदोलन के अमर शहीद बाबू गेनू सैद। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रभक्ति किसी विशेष वर्ग या शिक्षा की मोहताज नहीं होती। यह तो हृदय की वह आग है, जो एक साधारण मजदूर को भी इतिहास में अमर बना देती है। बाबू गेनू भारत में स्वदेशी आंदोलन के लिए प्राण देने वाले पहले व एकमात्र शहीद माने जाते हैं। इसी कारण वह पूज्य बन गए। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वदेशी और अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांतों को केवल अपनाया ही नहीं, बल्कि अपने जीवन से उन्हें साकार कर दिया। मात्र 22 वर्ष की आयु में उनका बलिदान यह दर्शाता है कि देशप्रेम की कोई उम्र नहीं होती।

बाबू गेनू का जन्म वर्ष 1908 में महाराष्ट्र के पुणे जिले के महालुंगे पडवल गांव में एक अत्यंत गरीब किसान परिवार में हुआ। उनके पिता ज्ञानोबा आढे और माता कोंडाबाई थीं। दो बड़े भाई एक बड़ी बहन के लाडले थे बाबू गेनू। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी, लेकिन जब बाबू मात्र दो वर्ष के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। यह आघात इकलौता नहीं था, कुछ समय बाद खेती में उपयोग होने वाला बैल भी मर गया। इन घटनाओं ने परिवार की जीविका छीन ली। परिस्थितियों से विवश होकर बाबू की मां कोंडाबाई को गांव छोड़कर मुंबई जाना पड़ा, जहाँ उन्होंने घरेलू सहायिका के रूप में काम करना शुरू किया। बाबू और उनके भाई-बहन प्रारंभ में पड़ोसियों के साथ गांव में ही रहे, लेकिन कुछ वर्षों बाद बाबू और उनकी बहन भी मुंबई आ गए। बहन ने घरों में बर्तन मांजने और सफाई का काम किया। जबकि बाबू की मां एक कपड़ा मिल में मजदूरी। दो अन्य भाई गांव में मजदूरी कर अपना पेट पालते थे। कुल मिलाकर चारों बहन भाई अत्यंत गरीबी में पले बढ़े।

आर्थिक अभावों के कारण बाबू गेनू को औपचारिक शिक्षा का अवसर नहीं मिल सका। वे केवल चौथी कक्षा तक ही पढ़ पाए। छोटी उम्र में ही उन्हें काम पर लगना पड़ा। उनकी मां जिस कपड़ा मिल में काम करती थीं, वहीं बाबू भी बाल मजदूर के रूप में काम करने लगे। इसी दौरान उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। मिल में एक मुस्लिम शिक्षक, जिन्हें बाबू स्नेहपूर्वक "चाचा" कहते थे, ने उनके मन में देशप्रेम के बीज बोए। वे बाबू को भारत के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता की आवश्यकता और अंग्रेजी शासन के अन्याय के बारे में बताते थे। बाबू उन्हें गुरु और पिता दोनों का स्थान देते थे। यही संस्कार आगे चलकर उनके बलिदान की नींव बने।

करीब 20 वर्ष की आयु में बाबू गेनू एक कुशल मिलहैंड बन गए और मुंबई के फीनिक्स मिल्स चॉल में रहने लगे, जो आज मुंबई का एक आलीशान व्यावसायिक क्षेत्र है। उनकी मां चाहती थीं कि वे शीघ्र विवाह कर लें, लेकिन बाबू का मन राष्ट्रसेवा में लगा था। उन्होंने



बाबू गेनू का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वदेशी केवल वस्तुओं का उपयोग नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और राष्ट्रप्रेम की भावना है।
— विकास खितौलिया

विवाह से इंकार कर दिया और तानाजी पाठक के दल में सम्मिलित होकर, स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़ गए। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु ने उनके हृदय को झकझोर दिया। महात्मा गांधी जी के प्रति उनमें अगाध श्रद्धा थी। गांधी के अहिंसा, सत्याग्रह और स्वदेशी के विचारों से वे अत्यंत प्रभावित थे। वे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बने और कई बार जेल भी गए। नमक आंदोलन के दौरान उन्हें छह महीने की सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल से छूटने पर जब वे अपनी मां से मिले, तो लोगों के मुख से अपने पुत्र की वीरता की प्रशंसा सुनकर मां का हृदय गर्व से भर गया। जेल से छूटने के पश्चात गेनू के मन में देश के लिए एक ज्वलंत प्रेम उमड़ रहा था। देश में स्वतन्त्रता का संघर्ष के साथ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का आंदोलन तेज हो रहा था। 22 वर्षीय बाबू गेनू भी इस आन्दोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेने लगे। बाबू गेनू भी अपने साथियों के साथ मिल मजदूरों को एकत्र कर स्वदेशी के महत्व को समझाने लगे।

12 दिसंबर 1930 को शुक्रवार का वह दिन, सुबह के 11 बजे का समय था, यह दिन भारतीय इतिहास में अमर हो गया। मुंबई के कालबादेवी इलाके में एक गोदाम विदेशी कपड़ों से भरा था। उसे दो व्यापारियों ने खरीद लिया। उन्होंने तय किया इसे मुंबई की कोट मार्केट में ले जाएंगे, इसके लिए उन्होंने अंग्रेज पुलिस से सुरक्षा मांगी। तब अंग्रेज पुलिस ने स्वीकृति दे दी। यह सूचना मिलते ही बाबू गेनू ने अपने साथियों को एकत्र करके उस ट्रक को रोकने का निर्णय लिया। हनुमान रोड पर इसे रोकने की योजना बनाई और वहीं सत्याग्रह शुरू हुआ। सत्याग्रह को देखने

लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रातः साढ़े सात बजे सत्याग्रही व दर्शक भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। जैसे ही विदेशी कपड़े से लदा ट्रक मिल से बाहर आया। गेनू के संकेत पर घोण्डू रेवणकर ट्रक के आगे लेट गए, इससे ट्रक रुक गया। फिर इसके बाद क्या था ? एक-एक कर 30 स्वयंसेवक ट्रक के सामने लेटते गए, लेकिन पुलिस उन्हें हटाती। वन्दे मातरम् और 'भारत माता की जय' के जयघोष लगाकर फिर दुबारा से ट्रक के सामने लेट जाते। बहुत देर तक यह क्रम चलता रहा। पुलिस ने उन सबकी जमकर पिटाई भी की फिर भी उनका हौसला टूटा नहीं। यह देखकर अंग्रेज पुलिस सार्जेंट ने चिल्ला कर आन्दोलनकारियों पर ट्रक चढ़ाने को कहा, पर ट्रक का भारतीय चालक इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर पुलिस सार्जेंट उसे हटाकर स्वयं उसके स्थान पर जा बैठा। अंततः बाबू गेनू स्वयं ट्रक के आगे लेट गए। यह सब देखकर सार्जेंट की आँखों में खून उतर आया। उसने ट्रक चालू किया और बाबू गेनू को कुचल दिया। यह दृश्य देखकर पूरा क्षेत्र स्तब्ध रह गया। सड़क पर खून ही खून फैल गया। गेनू का शरीर धरती पर ऐसे पसरा था, मानो कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की छाती से लिपटा हो। तत्क्षण उसे अस्पताल ले जाया गया, पर उसके प्राण पखेरू तो पहले ही उड़ चुके थे। इस प्रकार स्वदेशी के लिए बलिदान देने वालों की माला में पहला नाम लिखाकर बाबू गेनू ने स्वयं को अमर कर लिया।

बाबू गेनू की मृत्यु के बाद मुंबई में भारी जन-आक्रोश फैल गया। अगले दिन 13 दिसंबर को उनकी शवयात्रा में हजारों लोग शामिल हुए, पूरा शहर बंद रहा और जगह-जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। उनकी शवयात्रा में महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक थे। बाबू गेनू अमर रहे के नारे

गूँजने लगे। प्रमुख समाचार पत्रों में अगले दो दिनों में इस घटना की व्यापक रूप से खबर थी। कस्तूरबा गांधी उनकी मां से मिलने गईं और महात्मा गांधी ने बाबू गेनू को स्वदेशी आंदोलन का साहसी सिपाही बताया। तभी से उनके बलिदान की स्मृति में 12 दिसंबर को स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

स्वदेशी के बलिदानी बाबू गेनू की स्मृति में दिल्ली के आर.के.पुरम, सेक्टर-8 और 9 के बीच के मार्ग का नाम शहीद बाबू गेनू रोड रखा गया है। वहीं स्वदेशी जागरण मंच का राष्ट्रीय कार्यालय भी मौजूद है। स्वदेशी जागरण मंच के प्रत्येक कार्यक्रम में उनका चित्र अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। उनके नाम पर देश के अनेको संस्थानों एवं सड़कों का नामकरण भी हुआ, जिसमें प्रमुख महाराष्ट्र राज्य के बाबू गेनू ग्राउंड (नवी मुंबई), बाबू गेनू चौक (पुणे), बाबू गेनू कहावाडी और महानुगले गाँव में गेनू की मूर्ति लगाई गयी (महालुंगे पडवल, पुणे जिला)। मुंबई के परेल में केईएम अस्पताल के कोने का नाम बाबू गेनू के नाम पर रखा गया है, जिसमें उनकी प्रतिमा प्रमुख रूप में प्रदर्शित है। कालबादेवी की उस गली का नाम उनके नाम पर रखा गया, जहां बाबू गेनू ने अपने प्राण न्योछावर किए थे। आज यह क्षेत्र लंबे समय से स्वदेशी बाजार का घर है।

स्वदेशी का स्वीकार एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बाबू गेनू का नारा उनके जीवन का सार था। बाबू गेनू का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वदेशी केवल वस्तुओं का उपयोग नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और राष्ट्रप्रेम की भावना है। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने प्राण अर्पित किए, उसे जीवित रखना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। एक साधारण मजदूर का यह असाधारण बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। □□

(लेखक, शोधकर्ता एवं विचारक)

सदियों तक याद रहने वाला बॉलीवुड का अमर सितारा

हिंदी सिनेमा के रूपहले पर्दे पर एक ऐसा नाम जिसने सात दशक तक अपनी चमक से परचम लहराया, वह नाम था धर्मेन्द्र। पंजाब की मिट्टी से उठकर बॉलीवुड की सबसे बुलंद ऊंचाइयों तक पहुँचने वाले इस अभिनेता ने जो सफर तय किया, वह किसी सपने से कम नहीं। वह सिर्फ सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि ऐसे कलाकार थे जिनके संवाद, जिनकी मुस्कान और जिनकी बहादुरी का अंदाज़ लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगा। उन्हें 'ही-मैन' कहा गया, ग्रीक गॉड कहा गया, और यह दर्जे उन्हें उनकी प्रतिभा, सरलता और अदम्य हौसले ने दिलाए। आज लाखों-करोड़ों प्रशंसकों के दिलों में एक टीस है... दुख है... और कहीं न कहीं एक मलाल भी। वे अपने चहेते सितारे को वह विदाई नहीं दे पाए, जिसके वे सच्चे हकदार थे। अंतिम पलों तक अस्पताल से घर तक जो गोपनीयता बरती गई, उसने उनके चाहने वालों को बेचैन रखा। किसी महानायक को विदा देने का अपना एक तरीका होता है। लोगों को उनकी झलक आखिरी बार देखने का हक होता है। पर इस बार यह हक छिन गया। यही सोचकर हर धर्मेन्द्र प्रेमी का दिल भारी है। लेकिन जाने वाले चले जाते हैं... रह जाता है उनका काम, उनका प्यार, और उनकी अमर कहानी। धर्मेन्द्र की कहानी ऐसी ही है। गांव के साधारण लड़के धरम सिंह देओल का मुंबई जाकर धर्मेन्द्र बन जाना, और वहां लाखों दिलों पर राज करना। मिनर्वा सिनेमा में एक फिल्म देखते हुए उनके दिल में जो सपना जागा था, उसने पूरी दुनिया को चमत्कृत कर दिया। छठीं में पढ़ता एक सीधा-सादा लड़का, जिसे अपने स्कूल में पहली बार किसी से मासूम प्यार हुआ... वही लड़का बाद में भारतीय सिनेमा का सबसे आकर्षक चेहरा बना।



धर्मेन्द्र जैसे सितारे मरते नहीं... वे सिर्फ पर्दे के पीछे चले जाते हैं।
उनकी आवाज़, उनकी हंसी, उनके संवाद, उनका अंदाज़ हमेशा ज़िंदा रहेगा।
— अजय कुमार



श्रद्धांजलि
1935-2025

समय बदला, दौर बदला, पर धर्मेन्द्र की चमक नहीं घटी। जब कई बड़े सितारे अस्सी के दशक में फ्लॉप होने लगे थे, वह तब भी हिट पर हिट देते रहे लोहा, हुकूमत, कातिलों के कातिल जैसी फिल्में इस बात की गवाह हैं। यही कारण था कि उनकी फैन-फॉलोइंग तीन-तीन पीढ़ियों तक फैली।

धर्मेन्द्र ने अभिनय की शुरुआत उन फिल्मों से की, जिनमें उन्होंने भावनाओं की गहराई और इश्क की सादगी दिखाई। लेकिन असली तूफान तब आया, जब वह ऐक्शन के राजा बन गए। उन्होंने बॉडीबिल्डिंग को बॉलीवुड में नया स्थान दिया। मजबूत कंधे, दमदार आवाज, और सामने खड़ा विलेन हो या हालात धर्मेन्द्र कभी पीछे नहीं हटते थे। शोले में वीरू के किरदार ने पूरे देश को हिला दिया। वह सिर्फ मजाकिया बहादुर ही नहीं थे, बल्कि दोस्ती का सबसे खूबसूरत प्रतीक भी थे। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना... यह सिर्फ संवाद नहीं था, एक मर्द की असली संवेदनशीलता की पहचान थी। उनकी फिल्में जैसे मेरा गाँव मेरा देश, यादों की बारात, जुगनू, शालीमार, चरस, द बर्निंग ट्रेन। हर दशक में धर्मेन्द्र के नाम की गारंटी ही फिल्म की सफलता की गारंटी थी। ऐसा कम होता है कि दो-दो सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के दौर में कोई तीसरा कलाकार उसी दमखम से छाया रहे। पर धर्मेन्द्र छाप रहे क्योंकि वह राजनीति और कैंपबाजी से दूर थे। वह किसी गुट का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के चहेते थे। उनके चेहरे पर कभी अहंकार की झलक नहीं आई। जितने बड़े स्टार, उतने ही ज़मीन से जुड़े इंसान। और जब वह रोमांस करते थे तो पर्दा पिघल जाता था। दर्शक मान लेते थे कि प्रेम इतना ही सहज, उतना ही खरा होता

है। हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी तो आज भी दिलों में ताज़ा है। वह रिश्ते में भी उतने ही सच्चे थे, जितने पर्दे पर दिखाई देते थे। उनकी हंसी में पंजाब की मिट्टी की खुशबू थी, उनकी आंखों में जज़्बातों की सच्चाई।

समय बदला, दौर बदला, पर धर्मेन्द्र की चमक नहीं घटी। जब कई बड़े सितारे अस्सी के दशक में फ्लॉप होने लगे थे, वह तब भी हिट पर हिट देते रहे लोहा, हुकूमत, कातिलों के कातिल जैसी फिल्में इस बात की गवाह हैं। यही कारण था कि उनकी फैन-फॉलोइंग तीन-तीन पीढ़ियों तक फैली। दादा भी उनके दीवाने, बेटा भी और पोता भी। आज जब वह हमारे बीच नहीं हैं, तो लोग टूटे हुए हैं। सोशल मीडिया से गलियों तक बस एक ही सवाल आखिर क्यों उनके अंतिम संस्कार में वह राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला, जिसके वह हकदार थे? क्यों वह चेहरे जिन्हें आखिरी बार देखकर लोग चैन पाते, उन्हें देखने का मौका किसी को नहीं मिला? क्यों ही-मैन को एक गहरे शीशों वाली एंबुलेंस में चुपचाप ले जाया गया? उनके चाहने वालों की पीड़ा यह सोचकर और बढ़ जाती है कि उनकी अंतिम यात्रा चुपके से पूरी हो गई, जबकि वह पूरी दुनिया के नायक थे।

पर शायद उनका परिवार नहीं चाहता था कि उनका आखिरी दृश्य भीड़, शोर और अफरातफरी में बदले। धर्मेन्द्र जिंदगी भर शोहरत में रहे, शायद

जाना उन्होंने सादगी से चाहा। फिर भी दिल तो फैंस का ही होता है... उसकी उम्मीदें हमेशा कुछ और चाहती हैं। धर्मेन्द्र की जिंदगी में जितने चकाचौंध वाले दिन थे, उतनी ही भावुक यादें भी थीं। वह अपने स्कूल, अपनी मिट्टी, अपने चाहनेवालों को कभी नहीं भूले। जब भी जाते, बचपन के दोस्तों से मिलते, अपने पिता की पुरानी कुर्सी देखकर भावुक हो जाते। यह वही धर्मेन्द्र थे सुपरस्टार भी और बहुत बड़ा इंसान भी। आज जब हम उनकी फिल्मों के दृश्य याद करते हैं शोले का टंकी वाला वीरू, चुपके-चुपके का विनम्र प्रोफेसर, मेरा गाँव मेरा देश का बदला लेने वाला हीरो तो महसूस होता है, यह कलाकार कभी बुजुर्ग नहीं हुआ। वह हमेशा जवान रहा, हमेशा जिंदादिल रहा। यह विडंबना ही है कि जिसे दुनिया ने हाथों-हाथ सिर पर बैठाया, उसी दुनिया से उनका अंतिम मिलन अधूरा रह गया। लेकिन यह अधूरापन ही उनके प्रति लोगों का सच्चा प्रेम है। जब जनता किसी कलाकार के जाने पर रो पड़ती है तो यही सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है। उन्हें सलामी बंदूकों से नहीं, करोड़ों दिलों से मिली। धर्मेन्द्र जैसे सितारे मरते नहीं.. वे सिर्फ पर्दे के पीछे चले जाते हैं। उनकी आवाज, उनकी हंसी, उनके संवाद, उनका अंदाज़ हमेशा जिंदा रहेगा। आने वाली पीढ़ियाँ भी जब वीरू की शरारतें देख हंसेंगी, जब गांव के नायक को बंदूक थामे देख रोमांचित होंगी, तब धर्मेन्द्र फिर से परदे पर लौट आएंगे। आज हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि धरम जी, आपने हमें प्यार, हिम्मत और सादगी सिखाई। आप चले गए, पर हम आपको भूल नहीं पाएंगे और आपकी विरासत सदियों तक जिंदा रहेगी। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। अफसोस यह है कि हम आपको आखिरी बार देख भी न पाए, पर विश्वास यह है कि आप हर दिल में हमेशा दिखाई देंगे। □□

खतरनाक है पश्चिमी अंधानुकरण



हम भारतीयों को पश्चिमी प्रथाओं, अग्नि दुर्घटनाओं को आमंत्रित करने वाले उपकरणों और स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाली रस्मों को त्याग देना चाहिए। अपने घरों में पारंपरिक और अर्थपूर्ण रीति-रिवाजों के पीछे के विचार को समझकर समारोह मनाना चाहिए। – महादेवय्या करदल्ली

शास्त्रोक्त, पारंपरिक और प्रकृति-अनुकूल रीति-रिवाजों को छोड़कर, पश्चिमी अंधानुकरण के कारण आज सगाई, विवाह, रिसेप्शन, नामकरण, पालना समारोह और जन्मदिनों में कृत्रिम फूलों से मंच सजाना, धुआँ पैदा करने के लिए धुआधार स्मोकिंग, दूल्हा-दुल्हन के सामने तेज रोशनी जलाना, नृत्य के दौरान विशेष प्रभाव वाले, इलेक्ट्रॉनिक गन से शोर करना और केक काटना फैशन बन गया है। लेकिन ये सभी कृत्रिम और दिखावटी प्रथाएँ गंभीर खतरे को न्योता दे रही हैं। इस सच्चाई को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। अनावश्यक रूप से जोखिम को आमंत्रित करने वाली ऐसी प्रथाओं को तुरंत त्याग देना चाहिए।

सजावट से लेकर केक काटने तक ये सभी गतिविधियाँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं तथा प्रकृति, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देने वाली हैं। इतना ही नहीं, ये प्रथाएँ जेब पर बोझ डालने वाली, महँगी और आडंबरपूर्ण भी हैं। दुनिया भर में लोग भारतीय परंपराओं को अपना रहे हैं, जबकि हम भारतीय उन पश्चिमी प्रथाओं को अपना रहे हैं जिन्हें स्वयं पश्चिम ने अस्वीकार कर दिया है, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है।

परंपरा में, दूल्हा-दुल्हन या शिशु के जीवन का प्रकाश चाँदनी की तरह परिवार और समाज को सुख दे, इस प्रतीक के रूप में सुमंगलाएँ आरती करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दीपक की रोशनी में बच्चे की निष्कपट मुस्कान समारोह की शोभा बढ़ाती है।

इसके विपरीत, केक काटना, रासायनिक पटाखों जैसी बत्तियाँ जलाना, उनके कणों का केक पर गिरना और वही केक खाना (कई बार चेहरे पर लगाने की प्रथा के कारण) इन सब से बच्चा घबरा कर रोने लगता है। इलेक्ट्रॉनिक गन चलाने से मंच पर कचरा फैलता है और समारोह की सुंदरता नष्ट होती है। कृत्रिम धुएँ के रसायन दूल्हा-दुल्हन और अतिथियों के फेफड़ों को दूषित करते हैं। कान फाड़ने वाला शोर ध्वनि प्रदूषण और छोटे बच्चों में बहरापन तक का कारण बन रहा है।

केक खिलाकर हम स्वस्थ बच्चों में अपच और कब्ज जैसी समस्याएँ पैदा कर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइटों और शॉर्ट-सर्किट से लगी आग मंच की सजावटी वस्तुओं और लोगों के कपड़ों को जला देती है। कई बार ऐसे समारोहों के कारण बुजुर्गों और छोटे बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है, यह एक कड़वी सच्चाई है। हमारे समाज ने आज तक इससे सबक नहीं लिया। मानो गली की महामारी को घर बुला लिया हो। पैसे देकर खरीदा गया खतरा कई बार समारोह की खुशियों को शोक में बदल देता है।

उदाहरण के तौर पर, गोवा के एक नाइट-क्लब में मंच से इलेक्ट्रॉनिक गन से निकले आग के कण से पूरा मंच आग की चपेट में आ गया। घने धुएँ के कारण बाहर निकलना संभव नहीं हो पाया। दम घुटने और अफरा-तफरी में 25 लोगों की मृत्यु हो गई, अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए।

यह नहीं भूलना चाहिए कि इस भयावह अग्नि हादसे के पीछे सजावट के लिए उपयोग की गई कृत्रिम सामग्री, अस्थायी बिजली कनेक्शन, भीड़, धुआँ और आवश्यक सुरक्षा उपायों की कमी प्रमुख कारण थे।

हम भारतीयों को पश्चिमी प्रथाओं, अग्नि दुर्घटनाओं को आमंत्रित करने वाले उपकरणों और स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाली रस्मों को त्याग देना चाहिए। अपने घरों में पारंपरिक और अर्थपूर्ण रीति-रिवाजों के पीछे के विचार को समझकर समारोह मनाना चाहिए।

फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हमारे विवाह संस्कारों में बाधा न बनें और रीति-रिवाजों के अनुसार होने वाले कर्मकांडों के निर्देशक न बनें, इस पर ध्यान दें। हमारे पुरोहितों और अर्चकों द्वारा संपन्न कराई जाने वाली विधियों को प्राथमिकता दें। समारोह की शोभा और आनंद बढ़े। अतिथि भारतीय स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें और भरपूर हृदय से आशीर्वाद दें। हमारे समारोह परिवार की परंपराओं के अनुरूप सम्पन्न हों। □□

स्वदेशी विज्ञान से वैश्विक नेतृत्व भारत के वैज्ञानिक पुनर्जागरण का निर्णायक काल



आज भारत अंतरिक्ष,
डिजिटल तकनीक,
जैव-प्रौद्योगिकी और
रक्षा अनुसंधान में वैश्विक
मंच पर सशक्त उपस्थिति
दर्ज करा रहा है। लेकिन
इससे भी अधिक
महत्वपूर्ण है कि यह
प्रगति अब अपनी
सम्यक्तागत जड़ों से
जुड़कर आगे बढ़ रही
है।

— प्रो. रूबी मिश्रा

भारत केवल एक भू-राजनीतिक इकाई नहीं, बल्कि एक जीवंत सभ्यता है, जिसकी आत्मा में विज्ञान और दर्शन दोनों समान रूप से प्रवाहित होते हैं। शून्य की अवधारणा, आयुर्वेद की चिकित्सा-पद्धति, खगोल विज्ञान के सूक्ष्म सिद्धांत, धातु विज्ञान की अद्वितीय क्षमता और योग का वैज्ञानिक अनुशासन, ये सभी भारत की उसी सनातन वैज्ञानिक चेतना के प्रतीक हैं, जिसे औपनिवेशिक सत्ता ने योजनाबद्ध ढंग से विस्मृत करने का प्रयास किया। इस परिवर्तन के चार सशक्त स्तंभ स्पष्ट दिखाई देते हैं—राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिक दृष्टि, विज्ञान भारती का संगठनात्मक सामर्थ्य, 'इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल' (आईआईएसएफ) का राष्ट्रव्यापी जन-मंच और स्वदेशी जागरण मंच का स्वावलंबी भारत अभियान।

स्वदेशी केवल अर्थनीति नहीं, संपूर्ण जीवन-दृष्टि

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आरंभ से ही 'स्वदेशी' को केवल आर्थिक संकल्पना नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन-दृष्टि के रूप में देखा है। संघ की यह मान्यता रही है कि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास

तभी संभव है जब उसकी शिक्षा, विज्ञान और तकनीक अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हों।

इसी विचार से प्रेरित होकर विद्या भारती के विद्यालयों में प्रयोगशालाओं की स्थापना के माध्यम से विज्ञान को ग्राम-ग्राम तक पहुंचाने का कार्य हुआ। 'संकल्प विज्ञान मंच' जैसे प्रयासों के माध्यम से वैज्ञानिकों को सामाजिक समस्याओं के समाधान से जोड़ा गया। डॉ. हेडगेवार और द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी (माधव सदाशिव गोलवलकर) की यह स्पष्ट मान्यता थी कि भारत का पुनरुत्थान केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक स्वाधीनता और स्वदेशी के विचार से संभव होगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत आत्मनिर्भर भारत को केवल उद्योग आधारित नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक आधारित राष्ट्र-निर्माण की संकल्पना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जल-संरक्षण, ऊर्जा-सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और ग्रामीण तकनीक जैसे क्षेत्रों में संघ के अनेक संगठन धरातल पर कार्य कर रहे हैं। संघ ने विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया।

स्वतंत्रता के बाद भी दशकों तक भारत का विज्ञान आत्मबोध से कटा रहा और पश्चिम-केंद्रित दृष्टिकोण का अनुगामी बना रहा। आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में भारत उस भूल-सुधार के ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ स्वदेशी विज्ञान केवल स्मृति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नीति का आधार बन रहा है।

विज्ञान भारती: राष्ट्रीय विज्ञान चेतना का संगठनात्मक स्वरूप

1981 में स्थापित विज्ञान भारती ने स्वदेशी विज्ञान को वैचारिक विमर्श से निकालकर

संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया। विज्ञान भारती ने 1981 से स्वदेशी विज्ञान को एक सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन बनाया है। इसका सबसे बड़ा कार्यक्रम 'विद्यार्थी विज्ञान मंथन' है, जिसमें अब तक 1.1 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चे जुड़ चुके हैं और हर साल डेढ़ करोड़ के करीब पंजीकरण होते हैं। देश के गाँव-गाँव तक विज्ञान पहुँचाने के लिए 28 'स्वदेशी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान' स्थापित किए गए हैं, जो जल-संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, औषधीय पौधे और ग्रामीण तकनीक पर काम करते हैं।

इसका लक्ष्य स्पष्ट है, भारतीय ज्ञान-परंपरा का वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन और उसे आधुनिक अनुसंधान से जोड़ना। जयंतराव सहस्त्रबुद्धे जैसे वैज्ञानिकों और विचारकों ने 'भारतीय विज्ञान सम्मेलन' जैसे मंचों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि वैदिक गणित, आयुर्वेद और भारतीय खगोल विज्ञान किसी अंधविश्वास की उपज नहीं, बल्कि सुदीर्घ वैज्ञानिक परंपरा के परिणाम हैं।

'विद्यार्थी विज्ञान मंथन' के माध्यम से विज्ञान भारती ने नई पीढ़ी को विज्ञान से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है। आज लाखों विद्यार्थी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि दृष्टि स्पष्ट हो तो विज्ञान केवल लैब तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज में संस्कार बन जाता है।

वर्ष 2015 में जब विज्ञान को एक जन-आंदोलन बनाने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती के संयुक्त प्रयास से 2015 में 'इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल' (आईआईएसएफ) का शुभारंभ केवल एक आयोजन नहीं था, बल्कि भारत में विज्ञान के सामाजिक पुनर्स्थापन का शंखनाद था। 'विज्ञान जनता के लिए, विज्ञान भारत के लिए' का उद्घोष इसी मंच से राष्ट्र के

कोने-कोने में गूँजा।

आईआईएसएफ ने भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच कृत्रिम दूरी को समाप्त करने का कार्य किया। आयुर्वेद, योग, खगोल विज्ञान, गणित, वास्तु और धातु विज्ञान पर केंद्रित सत्रों में यह सिद्ध किया गया कि भारतीय ज्ञान प्रणाली अनुभवजन्य और परीक्षण-सिद्ध रही है। इससे युवाओं में यह आत्मविश्वास जागृत हुआ कि वे किसी आयातित वैज्ञानिक परंपरा के अनुयायी नहीं, बल्कि एक महान वैज्ञानिक सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। यह बौद्धिक उपनिवेशवाद से मुक्ति की निर्णायक दिशा है।

आईआईएसएफ का दूसरा बड़ा योगदान 'लैब टू लैंड' की अवधारणा का क्रियान्वयन है। यहाँ विज्ञान शोध पत्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खेती, जल-संरक्षण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और कुटीर उद्योगों तक पहुँचा। 2019 के कोलकाता आयोजन में शिल्पकारों और वैज्ञानिकों के बीच संवाद ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय परंपरागत उद्योगों में छिपी तकनीकी प्रतिभा आधुनिक औद्योगिक भारत की रीढ़ बन सकती है। इससे ग्रामीण नवाचारों को राष्ट्रीय पहचान मिली।

2015 में आईआईटी दिल्ली में एक साथ हजारों छात्रों द्वारा रसायन विज्ञान प्रयोग कर बनाया गया विश्व रिकॉर्ड केवल प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वह भारत की युवा वैज्ञानिक चेतना का उद्घोष था। 'विद्यार्थी विज्ञान मंथन' ने बच्चों में प्रतियोगिता के साथ अनुसंधान वृत्ति को विकसित किया। इसका दीर्घकालिक प्रभाव यह होगा कि भारत को भविष्य में केवल इंजीनियर ही नहीं, बल्कि मौलिक शोधकर्ता भी मिलेंगे।

2015 नई दिल्ली में स्वदेशी विज्ञान आंदोलन का शंखनाद 2019 में कोलकाता में विज्ञान महोत्सव, वर्ष 2020 की (वर्चुअल), महामारी के दौर में

'आत्मनिर्भर भारत और विश्व-कल्याण के लिए विज्ञान' और 2023 (फरीदाबाद) के अमृत काल में विज्ञान और तकनीकी नवाचार का राष्ट्रीय संकल्प के आईआईएसएफ की आयोजनों ने यह प्रमाणित कर दिया कि विज्ञान अब अभिजात वर्ग का विषय नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग बन चुका है।

आत्मनिर्भर भारत और भविष्य की दिशा

2020 के बाद जब 'आत्मनिर्भर भारत' राष्ट्र का मंत्र बना, तब आईआईएसएफ उसका वैज्ञानिक आधार बनकर उभरा। इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर जैसी संस्थाओं की स्वदेशी तकनीकों को उद्योग से जोड़कर रक्षा, अंतरिक्ष, कृषि, जैव-प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में भारत ने आत्मविश्वासी छलांग लगाई। स्टार्टअप कॉन्क्लेव के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक निर्माता बनने की ओर बढ़ रहा है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि भारत में विज्ञान का नव-पुनर्जागरण संभव हुआ है। यह केवल तकनीकी उन्नति नहीं, बल्कि बौद्धिक स्वाधीनता और सांस्कृतिक आत्मगौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का युग है। आज भारत अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक, जैव-प्रौद्योगिकी और रक्षा अनुसंधान में वैश्विक मंच पर सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह प्रगति अब अपनी सभ्यतागत जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ रही है।

भारत की यह यात्रा अभी प्रारंभिक चरण में है, किंतु संकेत स्पष्ट हैं—आने वाले समय में भारत केवल विज्ञान का अनुसरण करने वाला राष्ट्र नहीं रहेगा, बल्कि विश्व को दिशा देने वाला वैज्ञानिक नेतृत्व प्रदान करेगा। □□

प्रो. रूबी मिश्रा (प्राचार्य, गणितीय विवेचिता कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय)

ऋतुओं को निगलने लगा प्रदूषण बदलता मौसम, घटता जीवन

भारत में सदियों से छह ऋतुओं (बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर) का अपना एक क्रम रहा है। हर ऋतु अपने विशिष्ट सौंदर्य, मौसम और जीवनशैली के साथ आती थी। लेकिन आज, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण यह प्राकृतिक क्रम टूट रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रदूषण रूपी दानव हमारी प्यारी ऋतुओं को धीरे-धीरे निगलने लगा है। ऋतुओं के परिवर्तन का बिगड़ता स्वरूप अब उत्तर भारत में, विशेषकर, छह की बजाय केवल तीन मुख्य मौसम ही अनुभव किए जाते हैं: सर्दी, गर्मी और बरसात। और वे भी अपने निश्चित समय पर नहीं आते।

विलुप्त होती हेमंत और शिशिर (शीत): पहले अक्टूबर के अंत तक हल्की ठंड महसूस होने लगती थी (हेमंत), जो दिसंबर-जनवरी में भीषण शीत (शिशिर) में बदल जाती थी। अब, वैश्विक गर्मी (ग्लोबल वार्मिंग) के कारण मानसून का विस्तार होता जा रहा है। अक्टूबर-नवंबर तक भी मानसूनी बारिश होती रहती है, और अचानक से तापमान गिर जाता है, जिससे हेमंत ऋतु का सुखद एहसास लगभग समाप्त हो गया है। ठंड का समय भी कम हो गया है।

गायब होती बसंत बयार: बसंत ऋतु (मार्च-अप्रैल) को सुहावना मौसम माना जाता था। लेकिन अब बीते कुछ वर्षों से, मार्च-अप्रैल से ही हीट वेव (अत्यधिक गर्मी) शुरू हो जाती है। परिणामस्वरूप, बसंत की बयार महसूस नहीं होती और सीधे गर्मी का ताप झेलना पड़ता है।

अनियमित वर्षा: प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से मानसून का पैटर्न भी बदल गया है। कहीं अत्यधिक बारिश से बाढ़ आ रही है, तो कहीं कम बारिश से सूखा पड़ रहा है, जिससे कृषि कैलेंडर पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है।



अचानक बढ़ता-घटता तापमान, स्मॉग और दूषित पानी से श्वसन संबंधी बीमारियाँ (अस्थमा), एलर्जी, हृदय रोग और डेंगू, मलेरिया जैसे संक्रामक रोग बढ़ रहे हैं।

— विजय गर्ग

प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर

इस बदलाव का मुख्य कारण मानवजनित प्रदूषण और उससे उपजा ग्लोबल वार्मिंग है।

वायु प्रदूषण (स्मॉग): सर्दियों में शहरों पर छाने वाली जहरीली धुंध (स्मॉग) सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुँचने से रोकती है। इससे रात का तापमान तो कम होता है, लेकिन दिन में ठंड का वह प्राकृतिक एहसास नहीं हो पाता, जिससे शीत ऋतु का आनंद बाधित होता है।

ग्रीनहाउस गैसों: जीवाश्म ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का स्तर खतरनाक दर से बढ़ा है। ये गैसों पृथ्वी के चारों ओर एक परत बनाकर गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं, जिससे औसत वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। यही बढ़ा हुआ तापमान ऋतुओं के समय और तीव्रता को बिगाड़ रहा है।

ओजोन रिक्तीकरण: वायु प्रदूषण सम-तापमंडल में ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा बढ़ता है और मौसमी संतुलन बिगड़ता है।

स्वास्थ्य और कृषि पर गंभीर परिणाम

ऋतुओं के इस विघटन का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है:

स्वास्थ्य संकट: अचानक बढ़ता-घटता तापमान, स्मॉग और दूषित पानी से श्वसन संबंधी बीमारियाँ (अस्थमा), एलर्जी, हृदय रोग और डेंगू मलेरिया जैसे संक्रामक रोग बढ़ रहे हैं।

कृषि का नुकसान: अनियमित वर्षा और तापमान में वृद्धि से फसलों का चक्र टूट रहा है। धान, गेहूँ और कपास जैसी महत्वपूर्ण फसलें प्रभावित हो रही हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है।

समय पर नहीं खिल रहे। परिंदे अपनी पारंपरिक प्रवास-यात्राएँ बदलने लगे हैं। फसलों की बुआई और कटाई का समय भी अव्यवस्थित होता जा रहा है। यह असंतुलन आने वाली खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिक स्थिरता के लिए खतरा है।



1. मौसम का गड़बड़ाता चक्र

प्रदूषण, विशेषकर वायु में बढ़ता पार्टिकुलेट मैटर और ग्रीनहाउस गैसों, तापमान को लगातार बढ़ा रही हैं। इसका सीधे-सीधे असर मौसम चक्र पर पड़ा है। गर्मी लंबी और तीखी होने लगी है, जबकि सर्दी छोटी और अनियमित। बरसात कभी अपेक्षा से अधिक, कभी अत्यंत कम और असमय होने लगी है। अब ऋतुएँ कैलेंडर नहीं, बल्कि प्रदूषण के स्तर के अनुसार बदल रही हैं।

2. धुंध ने निगल ली सुबहें और शामें

सर्दियों की धुंध, जो कभी सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती थी, अब स्मॉग का रूप ले चुकी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में स्मॉग की मोटी चादर सूरज की रोशनी तक को छिपाने लगी है। ऐसे में शरद और हेमंत की महीन ठंड का आनंद गायब होने लगा है। लोगों को मौसम कम और प्रदूषण ज्यादा महसूस होने लगा है।

3. प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है

प्रदूषण के कारण तापमान में असामान्य बदलाव पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं के जीवन चक्र को प्रभावित कर रहा है। फल-फूल अपने निर्धारित

4. ऋतु-संवेदनाओं का खो जाना

बचपन की यादों में बसंत के फूलों की महक, पीली सरसों का सौंदर्य, सावन की खुशबू, शरद की उजली धूप शायद हमेशा के लिए धुंधली पड़ने लगी है। आज की पीढ़ी मौसम का सुख नहीं, प्रदूषण का दंश अधिक महसूस कर रही है। ऋतुएँ अब अनुभव नहीं, आंकड़ों और चेतावनियों का विषय बन गई हैं।

5. समाधान की दिशा

अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाले समय में 'ऋतु' केवल किताबों में ही रह जाएगी। इसके लिए जरूरी है—

- वायु प्रदूषण के स्रोतों पर सख्त नियंत्रण
- पराली प्रबंधन के लिए तकनीकी समाधान और किसानों को सहयोग
- वाहनों और उद्योगों के उत्सर्जन में कमी
- बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण
- जनता में पर्यावरणीय जागरूकता
- समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है, क्योंकि प्रदूषण भी सामूहिक समस्या है।

उपसंहार

प्रदूषण ने हमारी जीवन-शैली ही नहीं, बल्कि प्रकृति के प्राणवायु रूपी मौसमचक्र को भी जकड़ लिया है। ऋतुओं का विलुप्त होना केवल पर्यावरण

का नहीं, हमारी संस्कृति और अस्तित्व का भी संकट है। यदि हम अभी कदम नहीं उठाएँगे तो आने वाली पीढ़ियाँ बसंत, शरद और हेमंत को केवल कहानियों में ही पढ़ेंगी।

समाधान: एक सामूहिक प्रयास

यह संकट अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत की हवा और पानी को विषाक्त कर चुका है। इस पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है:—

प्रदूषण नियंत्रण: व्यक्तिगत और सरकारी स्तर पर वायु, जल और भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त उपाय अपनाना।

नवीकरणीय ऊर्जा: जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को अपनाना।

वन संरक्षण और वृक्षारोपण: वनों की कटाई को रोकना और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना, क्योंकि पेड़ वातावरण को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रकृति का दिया हुआ यह अनमोल उपहार—हमारी ऋतुएँ — ऐसे में हमें ऋतुओं को बचाने के लिए आगे आना होगा। अगर हमने अभी सजगता नहीं दिखाई, तो आने वाली पीढ़ियाँ केवल किताबों में ही बसंत की बयार और हेमंत की सुखद दस्तक के बारे में पढ़ पाएंगी। □□

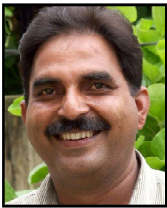
(डॉ. विजय गर्ग, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, गलोट, पंजाब)

संविधान की रीढ़ हैं सचेत नागरिक



26 नवम्बर (संविधान दिवस) की तारीख देश की आत्मा, उसके बुनियादी ढांचे और जनता की सर्वोच्चता की याद दिलाने वाली तारीख है। इस दिन संसद के गौरवशाली भवन में जब राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विभिन्न दलों के नेता संविधान दिवस पर अपने विचार रखते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानते हैं कि असली नैतिक शक्ति उस मोटी किताब में दर्ज जनता के अधिकारों से आती है। इसी वजह से आज की राजनीति में संविधान दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि विचारधाराओं की टकराहट, जनता के

समर्थन की होड़ और भविष्य के भारत की दिशा तय करने का अहम मौका बन चुका है। सवाल यह उठता है कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो फिर संविधान दिवस 26 नवम्बर को क्यों मनाया जाता है। इसका उत्तर इतिहास के उस निर्णायक क्षण में छुपा है जब 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने बहस, मतभेद और भारी मंथन के बाद भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था। कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की लगातार मेहनत के बाद तैयार हुए इस संविधान को उसी दिन स्वीकार किया गया और यह दिन हमारे लोकतांत्रिक सफर का असली दस्तावेजी जन्मतिथि बन गया। बाद में 26 जनवरी को लागू करने के पीछे भी एक राजनीतिक और सांकेतिक निर्णय था, ताकि 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की याद के साथ गणराज्य की नई शुरुआत जोड़ी जा सके, इसलिए लागू होने की तारीख 26 जनवरी रखी गयी, जबकि अपनाने की ऐतिहासिक तारीख 26 नवम्बर ही रही।



आज जो संविधान दिवस राजनीतिक बहस का केन्द्र है, वह दरअसल 2015 में एक नए रूप में सामने आया जब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर केन्द्र सरकार ने 26 नवम्बर को औपचारिक रूप से संविधान दिवस घोषित किया।
— संजय सक्सेना

आज जो संविधान दिवस राजनीतिक बहस का केन्द्र है, वह दरअसल 2015 में एक नए रूप में सामने आया जब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर केन्द्र सरकार ने 26 नवम्बर को औपचारिक रूप से संविधान दिवस घोषित किया। इस निर्णय के पीछे तर्क यह था कि केवल गणतंत्र दिवस जैसे औपचारिक उत्सव से आगे बढ़कर साल में एक दिन ऐसा भी हो जो खास तौर पर नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद से हर वर्ष इस दिन विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों और सरकारी दफ्तरों में प्रस्तावना का सामूहिक पठन, गोष्ठियाँ, शपथ कार्यक्रम और बहसों का आयोजन होने लगा, जिसने इसे एक जीवंत राजनीतिक और सामाजिक उत्सव में बदल दिया। इस दिन संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सत्ता और जनमत के बीच संवैधानिक अनुबंध की सार्वजनिक पुनर्पुष्टि होती है। राष्ट्रपति जब प्रस्तावना और मूल अधिकारों पर जोर देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष संसद की गरिमा और मर्यादा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री संविधान के प्रति निष्ठा दोहराते हैं, तो विपक्ष भी इस मंच को सरकार से सवाल करने और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि आज संविधान दिवस पर राजनीति गर्म होना स्वाभाविक है, क्योंकि यही मंच सत्ता के चरित्र, नीतियों और मंशा की असली परीक्षा का दिन भी बन जाता है।

अब सवाल यह भी है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान में इतने सालों में कितने बड़े बदलाव आ चुके हैं और उनका स्वरूप क्या रहा है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसकी मज़बूती का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि इसे समय के साथ बदलने और समाज की नई ज़रूरतों के अनुरूप ढलने की क्षमता दी गयी है। आज तक इसमें सौ से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से कई ने देश की राजनीतिक व्यवस्था, अधिकारों और शासन संरचना को गहरे तौर पर प्रभावित किया है; इन्हीं बड़े संशोधनों ने संविधान को केवल स्थिर दस्तावेज़ नहीं रहने दिया बल्कि एक जीवंत, बढ़ती हुई व्यवस्था में बदला है। इन बड़े परिवर्तनों में सबसे प्रमुख स्थान 42वें संशोधन को दिया जाता है, जिसे अक्सर 'लघु संविधान' कहा जाता है क्योंकि इसने प्रस्तावना से लेकर मूल कर्तव्यों और केन्द्र-राज्य संबंधों तक कई बुनियादी हिस्सों को बदल दिया। इसी संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गये और नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची पहली बार संविधान में दर्ज की गयी, जिससे अधिकारों के साथ कर्तव्यों की वैधानिक जिम्मेदारी भी रेखांकित हुई। यह संशोधन आपातकालीन दौर की राजनीति की देन था और आज भी इस पर बहस होती है कि इसने संविधान की मूल भावना को कितना मज़बूत किया और कहाँ-कहाँ सत्ता के केंद्रीकरण का रास्ता खोला।

44वें संशोधन ने उसी आपातकालीन दौर की कई अतियों पर प्रहार करते हुए मूल अधिकारों की रक्षा को फिर से मज़बूत किया और आपातकाल की घोषणा जैसे प्रावधानों को अधिक कठोर और जवाबदेह बनाया। इस संशोधन के ज़रिये यह प्रयास किया गया कि भविष्य में सत्ता किसी एक

व्यक्ति या दल के हाथ में अत्यधिक केंद्रित होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचल न सके; यानी संविधान ने खुद अपने भीतर सुधार की प्रक्रिया अपनाकर लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए नई दीवारें खड़ी कीं। इसी क्रम में बाद के संशोधनों ने चुनावी व्यवस्था, पंचायती राज, नगर निकायों और आरक्षण नीति तक को नए रूप में गढ़ा। 73वें और 74वें संशोधनों ने गाँव से लेकर शहर तक स्थानीय स्वशासन की नई नींव रखी, जिससे पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला और आम नागरिक के दरवाज़े पर लोकतंत्र की आवाज़ाही बढ़ी। इन संशोधनों ने महिला सहभागिता बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को मज़बूती दी, जो बाद में राज्यों द्वारा अलग-अलग स्तर पर और विस्तारित की गयी; इस तरह संविधान ने लोकतंत्र को केवल राजधानी और विधानसभा भवनों तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि उसे मोहल्ले और गाँव की चौपाल तक पहुँचाया। इसी दौरान शिक्षा, नगर नियोजन और स्थानीय संसाधनों के नियंत्रण पर भी जनता और स्थानीय निकायों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में संवैधानिक सुरक्षा मिली।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से जुड़े संशोधन भी संविधान में बड़े बदलाव के रूप में दर्ज हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाये गये। उच्चतम न्यायालय के फैसलों और राजनीतिक सहमति के बीच टकराव और समन्वय की कठिन प्रक्रिया से गुजरते हुए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को संतुलित किया गया, ताकि समता के आदर्श और प्रशासनिक दक्षता दोनों के बीच एक व्यावहारिक रास्ता निकल सके। हाल के वर्षों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आरक्षण देने वाला संशोधन भी इसी बहस का हिस्सा है, जो दिखाता है कि संविधान की व्याख्या

केवल जाति आधारित पिछड़ेपन तक सीमित नहीं रखी जा रही।

इन सभी बड़े संशोधनों के बावजूद संविधान की प्रस्तावना में दर्ज न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल आदर्श आज भी वही हैं, जिन पर पूरी राजनीतिक बहस घूमती है। आज सत्ता पक्ष इन्हीं आदर्शों के नाम पर अपनी नीतियों को जनता के सामने न्यायोचित ठहराता है, तो विपक्ष भी इन्हीं आदर्शों का हवाला देकर सरकार पर हमला बोलता है कि कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थाएँ कमज़ोर की जा रही हैं या अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। इसी टकराव में नागरिकों की भूमिका निर्णायक बनती है, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला मतदाता के हाथ में होता है, जो संविधान को अपने वोट से ज़िंदा रखता है।

आज जब संसद में बहस होती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मीडिया की आज़ादी, चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता और संघीय ढांचे की मज़बूती कितनी सुरक्षित है, तो उसका सीधा संबंध संविधान की आत्मा से जुड़ जाता है; कोई भी दल खुलकर यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वह संविधान से ऊपर है, इसलिए सब उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। यही संविधान की असली ताकत है कि हर दल, हर नेता, हर आंदोलन को अंततः उसी किताब का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें पहली पंक्ति जनता को सर्वोच्च बताती है।

आज भी जब संसद के बाहर नारों, टीवी बहसों और सामाजिक माध्यमों पर आरोप-प्रत्यारोप का शोर गूँजता है, तब भी संविधान की प्रस्तावना शांत, स्पष्ट और अडिग खड़ी रहती है। यह दिन याद दिलाता है कि सरकारें आयेगी, जायेंगी, बहुमत बदलेंगे, नारे बासी हो जायेंगे, लेकिन अगर नागरिक सचेत रहें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें, तो संविधान की मर्यादा अक्षुण्ण बनी रहेगी। □□

संजय सक्सेना, लेखक, वरिष्ठ पत्रकार

स्वस्थ शरीर में ही बसता है स्वस्थ मस्तिष्क



शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में खेलों का भी विशेष महत्व होता है। खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हैं, बल्कि मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व नैतिक विकास में भी सहायक होते हैं। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि शिक्षा विविध जानकारीयों का ढेर नहीं है, जो तुम्हारे मस्तिष्क में ढूँस दिया गया है, हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है, जो जीवन-निर्माण, मनुष्य-निर्माण तथा चरित्र-निर्माण में सहायक हों। इसी प्रकार तरुणों को कहते “मेरे मित्रों शक्तिशाली बनो, गीता पढ़ने से पहले फुटबाल खेलो,

जिससे तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियाँ अधिक मजबूत हो फिर तुम गीता अधिक अच्छी तरह से समझ सकोगे। अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर, श्रीकृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे।”

कुमारसंभव में कालीदास जी ने लिखा है—“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्” अर्थात् शरीर ही सभी कर्मों व धर्म साधन का प्रथम साधन है। अतः शरीर का सभी प्रकार से विकास होना आवश्यक है। आचार्य चाणक्य ने लिखा है “पहला सुख निरोगी काया”, इसी प्रकार हमारे प्राचीन साहित्य में मिलता है— “व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम्” अर्थात् व्यायाम से स्वास्थ्य ठीक रहता है, उससे ही दीर्घ आयु, शक्ति व सुख मिलता है। व्यायाम संभव होता शारीरिक श्रम से, “उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि” अर्थात् मेहनत करने से ही कार्य सिद्ध हो पाता है। योग—आसन व प्रणायाम से शरीर मन, बुद्धि, आत्मा का सुधार होता है, “योगो भवति दुःखहा” अर्थात् दुःखों का नाश योग से हो जाता है। महाभारत में आया है— “उत्साहस्य त्रिलोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम्” अर्थात् उत्साह से तीनों लोकों में कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं रहता। “धैर्यं सर्वत्र साधनम्” कोई भी कार्य करना हो उसमें धैर्य रखना बहुत आवश्यक है और ये संभव हो पाता है खेलों से। “संघे शक्तिः कलौ युगे”— सामूहिक गतिशीलता को कलियुग की शक्ति माना गया है और यह भी खेलों से ही विकसित होती है। “वीर भोग्या वसुंधरा” अर्थात् वीर ही वसुंधरा का भोग कर पाता है, शक्तिहीन की सम्पत्ति तो दुर्जन हड़प लेते हैं। वीरता प्राप्त होती है घुड़-सवारी, तलवार-बाजी, मल्ल-खम्म, तीरंदाजी जैसे खेलों के माध्यम से। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति व पराक्रम ये सभी गुण केवल किताबी ज्ञान से संभव नहीं हैं इसके लिए तो किताबी ज्ञान के साथ-साथ खेलों को भी आनुपातिक महत्व प्रदान करते हुए अनिवार्य रूप से शिक्षा संस्थानों में लागू करना होगा। इससे हमें अनेक दुर्लभ तत्व प्राप्त होंगे।

क्षमतायुक्त शरीर व समतायुक्त मन का विकास — खेलकूद से जहां शरीर का विकास होता है वहीं शरीर सक्रिय, स्वस्थ और ऊर्जावान भी बनाता है, जिससे मोटापा, तनाव और कई शारीरिक रोग मिटते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। खेल विद्यार्थियों



आज केवल क्रिकेट को ही सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। परम्परागत खेलों को भी समानरूप से अपनाने की आवश्यकता है तभी यथोचित परिणाम प्राप्त होंगे।

— डॉ. नन्द सिंह
नरुका

में एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास करता है। जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है, त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता भी आती है। मानसिक स्वास्थ्य में सन्तुलन रहने से अध्ययन भी अच्छे से कर पाते हैं।

आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों का संवर्द्धन — सामूहिक गतिशीलता, निष्पक्षता, परिश्रम, समय पालन, दृढ़ता जैसे गुण खेलों के माध्यम से विकसित होते हैं, जिससे आध्यात्मिक व नैतिक गुणों का विकास होता है। विद्यार्थी शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय चरित्र को भी सहजता से धारण करना सीख जाते हैं।

सामाजिक सरोकार का विकास — बच्चों में सहयोग, अनुशासन, नेतृत्व, सम्मान और सामूहिक गतिशीलता जैसे मूल्यों का सहजता से विकास होता है। इससे हार-जीत में भी वो सम रहने, धैर्य धारण रखने जैसे सकारात्मक गुणों को विकसित कर लेता है। जो जीवन में सामाजिक संबंधों को निभाने में व आगे अवसाद से बचाये रखने में बहुत उपयोगी होते हैं।

जीवन की यथार्थता की शिक्षा — विद्यार्थी खेलों से सीखता है कि मैदान में गिरकर उठना ही असली खिलाड़ी की पहचान है। जीवन में जब कभी भी विपदाएँ आएगी तो इसी प्रकार बार-बार सम्भलने की आवश्यकता होगी। केवल निराश होकर नहीं बैठना क्योंकि हर हार अगली जीत की तैयारी है। खेल जीवन जैसा है कभी गिरना, कभी उठना और लगातार आगे बढ़ते रहना।

विद्यार्थियों पर दबाव — आजकल यह लगता है कि हमारे बच्चे शारीरिक व मानसिक दोनों ही रूपों में कमजोर हैं, ना तो उन्हें खाना ठीक से पचता है, ना ही वो मन लगाकर अध्ययन करते हैं और ना ही अन्य आवश्यक कार्य कर पाते हैं। चिड़चिड़े रहते हैं, शीघ्र ही क्रोध करने लगते हैं, बार-बार

जुकाम आदि बिमारियों से पीड़ित रहते हैं तो समझ जाएं कि वो मानसिक दबाव में हैं। बिमारियों को बढ़ाने में बच्चों के खुले वातावरण में नहीं खेलना व टीवी/मोबाइल के खेल में अपने को व्यस्थ रखना, अभिभावकों की प्रतिस्पर्धा भी बहुत बड़ा कारण बन गया है। हमें उन खेलों की ओर लौटना होगा जिससे प्रकृति के अमूल्य तत्व शरीर को मिले, जिससे शरीर तन, मन, बुद्धि से स्वस्थ व मस्त रह सके।

हमें अपने प्राचीन खेल तथा वर्तमान में प्रचलित खेलों के बीच सामनजस्य बिठाकर जो अधिक उपयोगी हो उनकी ओर बच्चों को प्रोत्साहित करना होगा। खुले में खेले गये खेल, जो ऋतु-अनुसार रहे — ग्रीष्म ऋतु में दिन में पेड़ की छाया के खेलों को चुनते थे। उनमें कुलाम लकड़ी-बच्चे पेड़ की शाखाओं पर दौड़ते थे, जिससे उनमें साहस का निर्माण होता, डर छू-मंतर होता, शरीर में बल पराक्रम की वृद्धि होती। रात्रि में मिट्टी की ढेरीया जिन्हें लाला बोलते गुप्त स्थान पर बनाते। इस खेल के माध्यम से रात्रि का भय दूर होता, सोचने की शक्ति का विकास होता। ग्रीष्म ऋतु में घर या सार्वजनिक स्थान पर चरभर (कंकड़ ठीकरी से) खेलते, यह खेल शतरंज की तरह ही व्यक्ति के मस्तिष्क के विकास का आधार रहा, आज भी गांवों में कुछ लोग इस बिना पैसे के खेल से अपना मन शांत व स्वस्थ रखने में उपयोग करते हैं। ऐसे ही राजा महाराजों का प्रसिद्ध खेल जिसे चौपड़ कहते वो भी बहुत से घरों में कोड़ियों या पाशों के माध्यम से खेले जाते रहे हैं। इससे युद्ध कौशल का विकास, सेना की व्यूह रचना करना, हाथी-घोड़ों का उपयोग इस खेल के माध्यम से सीख जाते थे।

सर्दियों के खेल जिसमें विटामिन डी की अधिक आवश्यकता रहती सूर्य के प्रकाश में खुले स्थानों पर अधिक

होते थे, इनमें गिल्ली-डंडा का खेल, यह खेल विद्यालयों में खेले जाने वाले राउण्ड बल्ला व आधुनिक खेल क्रिकेट का आधार रहा होगा। इसी प्रकार पुराने कपड़ों व रस्सी से गेंद जिसे दड़ी (बड़े आकार को दड़ा) कहते बनाते। पेड़ के डण्डों (हॉकी स्टीक की तरह के) से दो दल बना कर खेलते। इसी प्रकार मोटी गेंद (दड़ा) को पैरों से धकेल कर खेलते। इससे कठिनाइयों से कैसे पार हो की शिक्षा मिलती, जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी बनी। कौच की छोटी-छोटी गोलियों से कंचे खेलने का भी आनन्द लेते, एकाग्रता व निशाना साधने का गुण इससे विकसित होता। लुका-छुपी, कब्बडी, रस्सा-कस्सी, पिट्टू-सितोलिया, रस्सी कूदना जैसे सदा-बहार खेल भी खेलते जिनसे साहस, योजना निर्माण, जीवन के उतार-चढ़ाव की तरह, हार-जीत के लिए अपने आप को तैयार करने के गुणों का विकास होता। आज ये साहस शक्ति निर्माण के खेल उपेक्षित हो रहे हैं भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए इन्हें पुनः विकसित करने की आवश्यकता है। विद्यालयों में भी बहुत से खेल आयोजित होते थे। जिनमें विभिन्न प्रकार के दौड़, रस्सी कूद, लम्बी कूद, भाला, तस्तरी व गोला फेंक, खो-खो, कब्बडी,रिंग-बाल, बाली-बाल, फुटबाल आदि मण्डल बनाकर खेले जाने वाले खेल शामिल थे।

ऐसे में मोबाइल एवं मशीन के दुष्प्रभाव से बचाना तथा उन पर निर्भरता को सीमित करने के लिए मैदानी खेलों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आज केवल क्रिकेट को ही सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। परम्परागत खेलों को भी समानरूप से अपनाने की आवश्यकता है तभी यथोचित परिणाम प्राप्त होंगे। □□

(डॉ. नन्द सिंह नरुका, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी कयम बोर्ड)

मामला अफगान महिलाओं की अनदेखी का सऊदी अरब से सीखे अफगानिस्तान

दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में 10 अक्टूबर को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कांफ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखने पर हंगामे का सकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि मुत्ताकी ने 12 अक्टूबर को एक और बैठक आयोजित की और उसमें महिला पत्रकारों को भी शामिल किया। इसमें महिला पत्रकार पूरी शान से आगे की पंक्ति में बैठीं। 12 अक्टूबर की बैठक भारतीय महिला पत्रकारों के लिए एक जीत है, लेकिन हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि अफगान महिलाओं और लड़कियों की स्थिति ठीक नहीं है। विशेष रूप से 2021 के बाद से तालिबान शासन में महिलाओं की दयनीय दशा को देखते हुए उनकी स्थिति समस्त इस्लामी जगत से आत्मचिंतन की मांग करती है।

तालिबान शासन में अफगान महिलाओं की स्थिति दयनीय है, वहीं सऊदी अरब (जहां इस्लाम जन्मा) में महिलाओं की स्थिति सुधर रही है। तालिबानी शासन में शरिया कानून के तहत लड़कियों को स्कूली शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन से वंचित रखा गया है। वे पुरुष अभिभावक के बिना घर से बाहर नहीं जा सकतीं।

उन पर थोपे गए बुर्के से उनकी स्वतंत्रता सीमित होती है। अफगान विश्वविद्यालयों में महिलाओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही मानवाधिकारों, लैंगिक अधिकारों, संवैधानिक कानूनों आदि पाठ्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह अफगान महिलाओं के लिए वस्तुतः पाषाण युग है।

इसके विपरीत सऊदी अरब में महिलाओं ने पिछले कुछ वर्षों में कई सकारात्मक बदलाव देखे हैं। वर्ष 2018 में सऊदी महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई और



एसएमई मालिकों में
लगभग आधी संख्या
महिला उद्यमियों की है।
इसके विपरीत तालिबान
शासन अपनी महिला
आबादी को लगभग पूरी
तरह से शक्तिहीन करने
को उचित ठहराने के
लिए शरिया का हवाला
देता है। सऊदी अरब ने
भी कुरान और सुन्नाह
(पैगंबर मुहम्मद की
परंपराओं) को देश का
संविधान घोषित किया
है।

— संध्या जैन



2019 में 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं पासपोर्ट के लिए आवेदन करने लगीं। उन्हें पुरुष अभिभावक की अनुमति के बिना यात्रा करने की भी आजादी मिली। 2021 से महिलाओं को बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के हज करने के लिए मक्का जाने की अनुमति दी गई, बशर्ते वे अन्य महिलाओं के साथ यात्रा कर रही हों। सऊदी पारंपरिक सिद्धांत के अधीन प्रत्येक महिला का एक पुरुष संरक्षक होता था, जो उसकी ओर से निर्णय लेता था।

इस तरह वे पिता, पति, भाई, पुत्र आदि के संरक्षण में रहने को विवश थीं, लेकिन 2019 से 21 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और राज्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने, नौकरी करने या गर्भावस्था और जन्म के बारे में चिकित्सा निर्णय लेने के लिए अभिभावकों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं रह गई। इसके बाद भी उन्हें विवाह, तलाक या आश्रयस्थलों को छोड़ने के लिए अभिभावक की सहमति अब भी चाहिए। यदि पुरुष अभिभावक अन्याय करते हैं तो महिलाएं अभिभावकत्व के हस्तांतरण की मांग कर सकती हैं। सऊदी अरब में विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में अदालतें कम उम्र की लड़की से विवाह की अनुमति दे सकती हैं। पति मौखिक रूप से अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकते। गौरतलब है कि भारत में ऐसा करने देने की अनुमति जारी रखने की मांग की जा रही थी और तीन तलाक पर रोक के बाद भी मौखिक तलाक के मामले आते रहते हैं।

सऊदी अरब में 15-24 वर्ष की आयु की सऊदी महिलाओं की साक्षरता दर 1992 में 57 प्रतिशत की तुलना में 2017 में 100 प्रतिशत के करीब थी। सऊदी विश्वविद्यालयों में नामांकित छात्रों में आधे से अधिक छात्राएं हैं। सऊदी महिलाएं प्रशासन से लेकर शिक्षा,

एसएमई मालिकों में लगभग आधी संख्या महिला उद्यमियों की है। इसके विपरीत तालिबान शासन अपनी महिला आबादी को लगभग पूरी तरह से शक्तिहीन करने को उचित ठहराने के लिए शरिया का हवाला देता है।
सऊदी अरब ने भी कुरान और सुन्नाह (पैगंबर मुहम्मद की परंपराओं) को देश का संविधान घोषित किया है।

अनुसंधान तक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल कर रही हैं। यह सही है कि वहां लिंग भेद मौजूद है, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय सह-शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। 2018 में सऊदी श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 15 प्रतिशत थी, लेकिन 2024 तक सक्रिय सरकारी नीतियों, बढ़ती शैक्षिक उपलब्धियों और महिला श्रमिकों की बढ़ती मांग के कारण यह 34.5 प्रतिशत हो गई है।

2017 में महिलाओं को अभिभावक की सहमति के बिना नौकरी के लिए आवेदन करने और अपना व्यवसाय शुरू करने की अनुमति दी गई। 2018 से खेलों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। लगभग 70,000 लड़कियों ने देश की महिला स्कूल फुटबाल लीग देखी। सऊदी महिला प्रीमियर लीग में 10 टीमें हैं और खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा के दौरान हिजाब पहनने या न पहनने का विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। 2025 में सऊदी अरब में पहला 24 घंटे का महिला खेल टीवी चैनल लांच किया गया।

प्रिंस एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान के अनुसार महिलाओं को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता है कि वे काला अबाया (पूरा लबादा) और नकाब (पूरा चेहरा ढकने वाला घूँघट) पहनना चाहती हैं या नहीं? हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि भारत में मुस्लिम लड़कियों के लिए बुर्के को आवश्यक बताने वालों की कमी नहीं।

सऊदी अरब में लड़कियों की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत 1955 में जेद्दा में दार अल हनान गर्ल्स स्कूल की स्थापना के साथ हुई। 1969 में सभी स्तरों की शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क कर दी गई। शिक्षा पर ध्यान देने से विदेशी अध्ययन कार्यक्रमों में नामांकित छात्राओं की संख्या 15,675 तक पहुंच गई है। इसमें डाक्टरेट, मास्टर, स्नातक, डिप्लोमा भी शामिल हैं। सऊदी महिलाएं स्वास्थ्य सेवा, प्रशासन, आइटी क्षेत्र के साथ योग्य प्रशिक्षक के रूप में भी काम कर रही हैं।

एसएमई मालिकों में लगभग आधी संख्या महिला उद्यमियों की है। इसके विपरीत तालिबान शासन अपनी महिला आबादी को लगभग पूरी तरह से शक्तिहीन करने को उचित ठहराने के लिए शरिया का हवाला देता है। सऊदी अरब ने भी कुरान और सुन्नाह (पैगंबर मुहम्मद की परंपराओं) को देश का संविधान घोषित किया है। आखिर इस्लाम के नाम पर सऊदी अरब से भिन्न नीतियां और प्रथाएं अफगानिस्तान में कैसे लागू हो सकती हैं? बात अफगानिस्तान की ही नहीं है। भारत में ही बीते दिनों मुस्लिमों द्वारा मौलवियों के कठोर एवं महिला विरोधी निर्देशों का पालन करने के मामले सामने आए हैं। अफगान महिलाओं की दुर्दशा कहीं अधिक गंभीर है और इस्लामी दुनिया इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। □□

(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं)

राष्ट्रीय संगोष्ठी हिमालय है तो हम हैं



भगवद् गीता के श्लोक 'स्थावराणां हिमालयरू' यानी 'हिमालय है तो हम हैं' के बैनर तले आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान विकास की ओट में अनियंत्रित पर्यटन, अवैध निर्माण, अनावश्यक सड़कें, रेल और बांध परियोजनाओं के चलते हिमालय क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न संकटों से निपटने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय हिमालयी क्षेत्र संगठन बनाने पर जोर देते हुए सरकार से हिमालयी राज्यों को हरित बोनस देने की मांग की गई।

दिनांक 26 नवंबर 2025 को दिल्ली स्थित हैबिटेड सेंटर में आयोजित संगोष्ठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर कर्ण सिंह, गोविंदाचार्य, डॉ. कृष्ण गोपाल जी, अश्वनी चौबे सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध पारिस्थितिकी विद्वान, वरिष्ठ नौकरशाह, सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार तथा गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। सत्रों में विभक्त संगोष्ठी का संचालन स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह-संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने किया। सत्र का संचालन करते हुए डॉ. महाजन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण आसन्न विपदा के बीच हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन, भू धंसाव, आए दिन बादल का फटना और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं हर साल तीव्रता के साथ बढ़ रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि राष्ट्र रक्षक हिमालय की सुरक्षा के लिए ठोस कार्यक्रम के साथ समय रहते समाधान की रूपरेखा तैयार की जाए।

संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र का आरंभ विशिष्ट अतिथियों के दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। हिमालय क्षेत्र से आयी महिला हिमालय प्रहरियों के दल ने अपनी लोक भाषा में हिमालय गीत प्रस्तुत किया। गीत प्रस्तुति के बाद पिछले 20 वर्षों से गंगा हिमालय पर सक्रिय संगठन गंगा आह्वान के

मल्लिका भनोट ने कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए हिमालय क्षेत्र की चिंताजनक स्थिति पर प्रकाश डाला। पूर्व में किए गए प्रयासों का ब्योरा देते हुए तेजी से लुप्त हो रही गंगा नदी के साथ उप हिमालयी मैदानों की रक्षा सुरक्षा के लिए त्वरित कदम उठाने की मांग की।

प्रथम सत्र में अपनी बात रखते हुए शशि शेखर ने कहा कि दुनिया के सबसे जवान पहाड़ हिमालय को केवल संरक्षण की नहीं बल्कि इसके पुनर्निर्माण पर भी काम करने की जरूरत है। आज जिस तरह बे रोक-टोक हिमालय क्षेत्र में प्रगति के नाम पर तोड़फोड़ की जा रही है वह हिमालय के स्वास्थ्य के लिए कतई ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भूटान की सरकार ने अपने संविधान में 75 प्रतिशत प्राकृतिक जंगल रहने देने का प्रावधान किया है उसी तर्ज पर भारत सरकार को भी हिमालय क्षेत्र की रक्षा के लिए कानून में प्रावधान करना चाहिए।

रवि चोपड़ा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मौसम चक्र बदल रहा है झील टूट रहे हैं। आबाद गति से आवाज आई के कारण वहां के पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न हो रही है। शेरों के लिए आवश्यक ठंड भी उपलब्ध नहीं है। फसलों की पैदावार पर सीधा असर पड़ रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण हर समय तबाही का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें हिमालय को बचाने के लिए वैज्ञानिक इंजीनियर से ज्यादा आम आदमी को साथ लाने की जरूरत है।

इस क्रम में नवीन जुयाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हिमालय को व्यापार का अड्डा बनाया जा रहा है। उपभोग आधारित विकास मॉडल के कारण लाभ कमाने के चक्कर में लालची लोगों द्वारा हिमालय की प्राकृतिक धरोहर को छिन्न-भिन्न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से ग्लेशियर सुख रहे हैं उसे भविष्य का संकट स्पष्ट रूप से दिख रहा है लेकिन कतिपय लाभ के चक्कर में लोग बड़े संकट को दावत देने से बाज नहीं आ रहे हैं।

हिमालय क्षेत्र के संकटों को लेकर लंबे समय से सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत ध्यानी ने गंगा बचाओ आंदोलन के दौरान गुरदास अग्रवाल और संत निगमानंद के बलिदान

को रेखांकित करते हुए कहा कि गंगा है तो जीवन है। उन्होंने कहा कि गंगा की रक्षा तभी हो सकती है जब हम हिमालय की रक्षा सुनिश्चित करेंगे। हिमालय क्षेत्र में बेतहाशा आवाजाही को खतरनाक बताते हुए उन्होंने सरकार से इस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर रोके जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले तीर्थटन के लिए लोग हिमालय क्षेत्र में जाते थे अब वह तीर्थटन पर्यटन में तब्दील हो गया है।

प्रथम सत्र के अंतिम वक्त के रूप में अपनी बात रखते हुए कहा कि आज सरकार ढेर सारा खर्च निर्मल गंगा के नाम पर कर रही है लेकिन सरकार को यह समझना चाहिए की गंगा अगर अविरल होगी तो अपने आप निर्मल हो जाएगी।

दूसरे सत्र की अध्यक्षता चुनाव आयोग के सदस्य रह चुके और अशोक लवस्का ने की। इस सत्र में अपनी बात रखते हुए कार्यक्रम के कर्णधार पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि आज सेना के नाम पर हिमालय का विनाश धड़ल्ले से किया जा रहा है, यह न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि मानवता के लिए घातक है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आज हिमालय क्षेत्र में चार धाम के नाम पर गैर जरूरी चौड़ी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में प्राचीन काल से चार धाम की परिकल्पना है। अब यह हिमालय क्षेत्र में नए चार धाम का नामकरण कुछ अत्यंत लालची लोगों के लाभ की लिप्सा का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र में नए चार धाम की परिकल्पना न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि शास्त्रों और परंपराओं के भी विपरीत है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ कर्ण सिंह ने हिमालयी क्षेत्र के विनाश की विभीषिका को इंगित करते हुए कहा कि हिमालय का संसार कई देशों तक फैला हुआ है। हिमालय अभी एक जवान होता हुआ पहाड़ है जिसे अभी लाखों करोड़ों वर्षों की यात्रा करनी है। इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम सभी को मिलजुल कर एक अंतरराष्ट्रीय हिमालय क्षेत्र संगठन बनाना चाहिए।

उत्तराखंड राज्य के विधायक प्रदीप कुमार टमटा के उद्बोधन के बाद अपनी बात रखते हुए स्वदेशी के प्रबल पक्षधर प्रखर चिंतक गोविंदाचार्य ने गंगा बचाओ आंदोलन में प्राणोत्सर्ग करने वाले प्रोफेसर जीडी अग्रवाल और संत निगमानंद के बलिदान को याद किया और कहा कि आज देश के प्रमुख धामों को को दामों में बदलने की होड़ लगी हुई है। उपभोक्तावादी संस्कृति सिर चढ़कर बोल रही है। कहने के लिए तो लोग पुण्य बटोरने के नाम पर तीर्थ स्थलों की ओर भागे दौड़े जा रहे हैं। ऐसे लोग कितना पुण्य बटोर पा रहे हैं यह तो वही बता सकते हैं लेकिन भौतिक तौर पर भारी मात्रा में वहां कचड़ा छोड़कर भाग जा रहे हैं। लोगों द्वारा फैलाया जा रहा कचरा हिमालय के स्वास्थ्य के लिए

बहुत ही नुकसानदायक है। हमें सोचना होगा कि अगर हिमालय ही नहीं रहेगा तो फिर लोग जाएंगे कहाँ? श्री गोविंदाचार्य ने कहा की हिमालय की रक्षा सरकार के भरोसे नहीं हो सकती। इसका समाधान भारतीय दार्शनिक और सांस्कृतिक परंपराओं में निहित है जो सामाजिक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सद्भाव की नींव पर टिक है जो न केवल मनुष्यों बल्कि सभी प्राणियों के समग्र विकास का दरवाजा खोलता है। उन्होंने कहा कि बाजार की ताकतों ने आध्यात्मिक मूल्यों का दमन कर दिया है। विकास का यह तूफान राष्ट्र की आत्मा, उसकी संस्कृति, सभ्यता, पवित्र गंगा और उसके उद्गम स्थल हिमालय तक को खतरे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है।

भोजनोपरान्त आयोजित सत्र में अपनी बात रखते हुए पूर्व मंत्री अश्वनी चौबे ने केदारनाथ धाम में आई आपदा की विस्तार से चर्चा की। मालूम हो कि श्री चौबे उस दौरान पारिवारिक यात्रा पर मौके पर मौजूद रहे थे, और हादसे में कई एक प्रिय परिवारीजनों को खोया था। आपदा के दर्दनाक मंजर को याद करते हुए उन्होंने बताया कि मृत्यु उनके सामने कैसे-कैसे भयावह दृश्य उपस्थित कर गई। उन्होंने कहा कि उनके परिवार धार्मिक उद्देश्य से लेकर यात्रा पर गया था लेकिन उन्होंने वहां पाया की प्रगति के नाम पर उसे दिव्य लोक को शोर शराबे और मनोरंजन के बाजार में षडयंत्र पूर्वक बदला जा रहा है। इस सत्र के दौरान श्री नरेश सिरोही गोपाल आर्य आदि आमंत्रित अतिथियों ने अपनी बात रखते हुए हिमालयी क्षेत्र के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए कार्यक्रमों के सार्थक क्रियान्वयन की वकालत की।

समापन सत्र का महत्वपूर्ण उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वरिष्ठ विचारक कृष्ण गोपाल ने कहा कि हिमालय क्षेत्र जल संसाधन का प्रमुख स्रोत है यहां से विश्व की अधिकांश नदियां निकलती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आज दुनिया भर में चिंता है। ऐसे में हमें नागरिक बोध के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। हिमालय हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ-साथ अर्थव्यवस्था और मानव विकास से भी गहराई से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इस संगोष्ठी की सार्थकता तभी है जब हम यहां लिए गए निर्णय को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कर हिमालय और गंगा की प्रतिष्ठा कायम रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अर्पित कर सकें।

संगोष्ठी में हिमालय क्षेत्र से आए हिमालय प्रहरियों ने भी अपनी बात रखी। प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का भी उत्तर विद्वान वक्ताओं द्वारा दिया गया। इस दौरान हिमालय क्षेत्र के संरक्षण के पक्ष में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। □□

‘मानव और पर्यावरण’ विषय पर गोलमेज चर्चा

स्वदेशी ज्ञान से ही स्थायी होगा समृद्ध भविष्य



‘प्रकृति का संरक्षण व्यक्ति से शुरू होना चाहिए, फिर परिवारों से, फिर समाज से। इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा।’ उक्त बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण विभाग के राष्ट्रीय संयोजक श्री गोपाल आर्य ने कही। वे नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती के सेमिनार हॉल में इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित ‘मानव और पर्यावरण’ पर एक गोलमेज चर्चा में बोल रहे थे। उन्होंने भारत की पारंपरिक परंपराओं और मूल्यों के आधार पर इंसानों, संस्कृति और पर्यावरण के बीच संबंधों पर एक गहन विश्लेषण पेश किया। इस चर्चा का संचालन स्वदेशी पत्रिका के पूर्व संपादक, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के निदेशक डॉ. कुलदीप रत्नू ने किया। कार्यक्रम में शिक्षाविद, नीति निर्माता, वकील, पत्रकार और पर्यावरणविद शामिल हुए।

श्री आर्य ने कहा कि सांस्कृतिक विकृतियों, औद्योगिक क्रांतियों, भौतिकवादी जीवन शैली और पर्यावरण की अवधारणाओं की गलत व्याख्या ने आज के पारिस्थितिक संकट को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी कई पर्यावरणीय आपदाओं को देख रही है। फिर भी, इंसान इन गलतियों से सीखे बिना उन्हें दोहराता जा रहा है।

पुरानी भारतीय सांस्कृतिक प्रथाओं पर फोकस करते हुए, उन्होंने कहा, “हजारों सालों से, भारतीय संस्कृति और पारंपरिक प्रथाओं ने प्रकृति के साथ पूरा तालमेल बनाए रखा है। उन दिनों में, प्रदूषण का नामोनिशान नहीं था, इसके बावजूद कि भारत में भरपूर संसाधन थे और जमीन, पानी, जंगल या जानवरों की कोई कमी नहीं थी।”

उन्होंने कहा कि वातावरण और पर्यावरण के बीच फर्क करना जरूरी है। पर्यावरण पर बात करने के लिए, हमें पहले

इंसानों को समझना होगा, क्योंकि इंसान प्रकृति की वजह से हैं, लेकिन इंसानों के कामों की वजह से प्रकृति खत्म हो रही है। मुश्किल तब शुरू होती है जब इंसान खुद को सिर्फ अपना शरीर समझने लगते हैं। इससे वे भौतिक इच्छाओं के जाल में फंस जाते हैं। बाहरी पर्यावरण को शुद्ध करने की कोशिश करने से पहले इंसानों के अंदर के पर्यावरण को शुद्ध करना होगा।

डॉ. कुलदीप रत्नू ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे पूर्वज हमेशा आने वाली पीढ़ियों की भलाई के बारे में सोचते थे, जबकि आज का समाज मुख्य रूप से पर्सनल लगजरी और आराम पर ध्यान देता है। यह बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि ग्रोथ को खपत के बराबर माना जाने लगा। उन्होंने बताया कि पारंपरिक रूप से, दौलत को जमीन, पानी, जानवर और पेड़ों जैसी प्राकृतिक चीजों से मापा जाता था। इसके उलट, आधुनिक सिस्टम को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है — उदाहरण के लिए, बिटकॉइन बनाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर की बढ़ती बिजली की जरूरतें एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा पैदा करती हैं। उन्होंने दिल्ली की खराब हवा की क्वालिटी का उदाहरण दिया, जो एक ऐसा शहर है जो शारीरिक आराम तो देता है लेकिन अपने नागरिकों की जिंदगी के कीमती साल छीन लेता है।

परिचर्चा का समापन इस निकष के साथ हुआ कि पर्यावरण का नुकसान इंसानी हरकतों और गलत सोच से होता है। सुधार की शुरुआत व्यक्तियों के आंतरिक पर्यावरण को बदलने से होती है, जो सद्भाव, सहानुभूति, सादगी और सार्वभौमिक कल्याण के भारतीय सभ्यता के सिद्धांतों से निर्देशित होता है। ग्रीन से हरित की ओर बदलाव भौतिकवादी, खंडित दृष्टिकोण से सांस्कृतिक रूप से जुड़ी, समग्र जीवन शैली की ओर एक आंदोलन का प्रतीक है। व्यक्तिगत प्रयासों, पारिवारिक भागीदारी, सामुदायिक जुड़ाव और स्वदेशी ज्ञान के माध्यम से, सह-अस्तित्व पर आधारित एक स्थायी भविष्य संभव है।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पर्यावरण विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों के साथ-साथ नीति निर्माता, नामचीन वकील तथा पत्रकारों ने भी हिस्सा लिया। □□

श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम जयन्ती

श्री अयोध्या धाम में धूमधाम से हुआ धर्मध्वजारोहण



राम भारत का गौरव है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विश्वास है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम प्रवाह है, राम नीति भी है, राम निरंतरता भी है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। – डॉ. आलोक दीपक

पूरे भारत को अह्लादित करने वाला 500 साल से प्रतिक्षित क्षण विधिवत पूरा हुआ। यह भारत में ही नहीं पूरे विश्व में श्री राम का प्रभुत्व पूरी दुनिया को आह्लादित कर गया। दिन मंगलवार ता 25.11.2025 को अयोध्या में श्री जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर जय “श्री राम” के नारों की गूंज से ध्वजारोहण का काम सम्पन्न हुआ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि मंदिर के शिखर पर जय श्री राम के नारों की गूंज के बीच ध्वजारोहण किया। भावुक प्रधानमंत्री ने कांपते हाथों से ध्वज फहराने के बाद इसे युगान्तकारी बनाया। नरेन्द्र मोदी संतोस व्यक्त करते हुने कहा 500 साल पुराना संकट आखिरकार राम मंदिर के औपचरिक निर्माण के साथ पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि यह धर्म ध्वजा भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का रंग है। इस ध्वजा पर जो ओम का प्रतीक है वह श्री राम के आदर्शों का उद्घोष है। ज्ञात हो कि 22 जनवरी 2024 को गर्भ गृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गयी तो पूरा देश उठता प्रभु श्री राम मय हो गया था। नरेन्द्र मोदी ने कहा राम मंदिर अब पूरा हुआ। यह उस अग्निपक्ष की पूर्णाहुति है जो 500 वर्षों से प्रज्वलित हो रही थी। यह धर्मध्वजा सदियों से चले आ रहे संकल्प का साकार स्वरूप है।

अभूतपूर्व, अविस्मरणीय, अद्भुत और भाव विह्वल कर देने वाला वह एक ऐसा क्षण, जिसने प्रभु श्री राम की ज्योति फैला दी थी। वह एक ऐसा क्षण था जिसकी दृष्टि और उल्लास भरी छाया पूरे देश दुनिया पर पड़ी। दूर-दूर तक हर घर में दीपावली की मोहकता ने दिल को मोह लिया। पांच सदियों की प्रतीक्षा 84 सेकंड की प्राण प्रतिष्ठान में पूरी हो गई। वेद मंत्रों के बीच प्रधानमंत्री मंदिर में भाव विभोर हो रहे थे। उनका कहना था कि कालचक्र बदला है, अभी और बदलेगा” प्रधानमंत्री ने प्रभु श्री राम के बाल राघव स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की। इसी के साथ पूरा देश आनन्द मग्न हो गया। हर घर में श्री मंत्रोच्चार के बीच हुए अनुष्ठान के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन

भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महत नृत्य गोपाल दास की उपस्थित रही थी।

भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में एक नये युग का शुभारंभ हो गया। प्रधानमंत्री ने रामलला की पहली आरती उतारी। इसके साथ ही स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान रामलला को 1008 रजत कमल अर्पित किए। 45 मिनट का पूर्ण अनुष्ठान देश के लिए अभूतपूर्व था। इसी के साथ ही जन्मभूमि स्थल पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। प्रधानमंत्री ने इस शुभ अवसर पर देश के नये युग के शुरुआत का प्रतीक बताया। 22 जनवरी 2024 का सूरज पूरे राष्ट्र के लिए सर्वथा नवीन था। यह राम मंदिर भारत के उत्कर्ष उदय का एक ऐसा रूप है जिसकी चेतना राष्ट्र को आह्लादित कर रही है। इस समारोह में 8000 से अधिक मेहमान राम जन्मभूमि परिसर में आए। फिल्मि दुनिया, खेल जगत, कला संस्कृति, उद्योग जगत से जुड़े कई हस्तियां समारोह की साक्षी बनी। आयोध्या में आज जिस भारतीयता का तीर्थ रूप है यह हमारी सनातनी आस्था का शिखर बिंदू है। यह बदलते भारत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री भगवान राम के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, मानो वह कह रहे हो... दुनिया वालों सुनो राम थे, राम है और रहेंगे।

प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हजार वर्ष के भारत की नींव रखने की सौगन्द लेने का आहवान करते हुए कहा कि इसके लिए हमें अपने अंतःकरण और चेतना को विस्तार देते हुए ‘देव से देश’ और ‘राम से राष्ट्र’ की भावना को साकार करना होगा। पूरा राष्ट्र श्री रामचंद्र की अद्भुत दिव्य और मांगलिक स्तुति करने लगा। प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन प्रस्तुत कर पवन पुत्र से लेकर प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को प्रणाम किया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि ‘500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने परिश्रम कर

(शेष पृष्ठ 38 पर ...)

लाहौर से ढाका तक सब हमारा अपना: डॉ. कृष्ण गोपाल



कोलकाता स्थित नेशनल लाइब्रेरी में शुक्रवार को स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी शोध संस्थान की ओर से बाबू गेनू के बलिदान दिवस के अवसर पर स्वदेशी बलिदान दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल जी मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने कहा कि भारत पर अनेक आक्रमण हुए, लेकिन भारत एक रहा। भावी पीढ़ी को बताना होगा कि लाहौर से लेकर ढाका तक यह सब हमारा अपना है। ढाका का ढाकेश्वरी मंदिर हमारी धरोहर है। भगवान राम के पुत्र लव द्वारा बसाया गया लाहौर भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। यह हमारा था, है और रहेगा। हमारी नदियों, हमारी भूमि और हमारे स्वभाव का ज्ञान नई पीढ़ी में जागृत होना चाहिए।

कार्यक्रम में अंग्रेजों के विदेशी कपड़े के आयात का विरोध करने के दौरान 12 दिसंबर, 1930 में बलिदान हुए बाबू गेनू को श्रद्धांजलि दी गई। उनके बलिदान को स्वदेशी चेतना का प्रेरक क्षण बताते हुए राष्ट्रनिर्माण में स्वदेशी की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। समारोह के मुख्य अतिथि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस के साथ ही विश्व सेवा आश्रम संघ के ठाकुर समीर ब्रह्मचारी, नेशनल लाइब्रेरी के निदेशक प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह और अर्थशास्त्री डॉ. धनपत राम अग्रवाल भी उपस्थित रहे।

सह सरकार्यवाह जी ने कहा कि 12 दिसंबर, 1930 का दिन स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा देने वाला दिन था। एक समय था, जब भारत दुनिया के 40 प्रतिशत लोगों को कपड़ा निर्यात करता था। यूरोप कपास को पहचानता भी नहीं था और भारत वस्त्र उत्पादन में विश्वगुरु था। लेकिन अंग्रेज व्यापार करने नहीं आए थे, वे भारत की समृद्धि को नष्ट करने आए थे। हमारे उद्योग-धंधे को खत्म कर यहीं के धन का उपयोग कर ब्रिटेन से सामान भेजना शुरू किया गया। इसी षड्यंत्र के बीच 1905 में बंगाल का विभाजन कर भारत को बांटकर शासन करने की नीति अपनाई गई।

उन्होंने कहा कि 1840 से 1920 के बीच बंगाल स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। इस दौरान यहां के समाज ने वैदिक युग के गौरव को पुनर्जीवित किया और पूरे देश में स्वदेशी चेतना प्रबल हुई। अंग्रेजों ने भारत के गौरवशाली इतिहास को धुंधला कर दिया, हमारी उपलब्धियों को छिपा दिया और अपनी लिखी किताबों में भारतीयों को अशिक्षित बताकर शिक्षा व्यवस्था की दिशा बदल दी।

डॉ. कृष्ण गोपाल स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा ने कहा कि दुनिया में जब लोकतंत्र का नाम भी नहीं था, तब वैशाली में लोकतंत्र विकसित हो चुका था। लेकिन आज झूठ फैलाया जा रहा है कि लोकतंत्र की शुरुआत यूरोप में हुई।

अंग्रेजों के आने से पहले भारत वैश्विक जीडीपी में 24 प्रतिशत योगदान देता था, लेकिन 1947 में यह घटकर केवल 2.2 प्रतिशत रह गया। इसके बाद भी भारत की आत्मा नहीं टूटी। उन्होंने कहा कि भारत का समाज कर्तव्य आधारित था, लेकिन अब अधिकार आधारित समाज का विस्तार चिंता का विषय है। विकास तभी संभव है, जब समाज स्वावलंबन की ओर लौटे और हर सुविधा सरकार पर निर्भर होकर न मांगे। अतीत में गुरुकुल, मंदिर और समाज ने मिलकर हर प्रकार की व्यवस्था बनाई थी, वही भावना फिर जागृत होनी चाहिए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने कहा कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और अन्य भाषाओं के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। “वोकल फॉर लोकल” का संदेश स्वदेशी को नई ऊर्जा दे रहा है। भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ है और बंगाल भी इस यात्रा में अग्रिम भूमिका निभा रहा है। स्वामी विवेकानंद का संदेश दोहराते हुए कहा कि लक्ष्य प्राप्ति तक रुकना नहीं चाहिए।

नेशनल लाइब्रेरी के निदेशक अजय प्रताप सिंह ने कहा कि स्वदेशी अपनाना ही देश को विकास की राह पर ले जाना है। धनपत राम अग्रवाल ने भारत के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए कहा कि यह देश स्वावलंबन के दम पर इतना मजबूत था कि दुनिया भर के लोग आकर्षित होकर आए और हमें लूट कर गरीब बना गए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का अतीत गौरवशाली था, वर्तमान चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भविष्य केवल स्वदेशी के मार्ग पर ही गौरवशाली बन सकता है।

बौद्धिक संपदा ही आर्थिक विकास की असली ताकत: डॉ. अग्रवाल

प्रतिष्ठित शिक्षाविद एवं आईटीएजी बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड के डायरेक्टर डॉ. धनपत राम अग्रवाल ने कहा कि

आज का युग ज्ञान, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। जिसमें बौद्धिक संपदा आर्थिक विकास की मजबूत आधारशिला है। वे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) में व्याख्यान के दौरान बोल रहे थे। एमडीयू के फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर (एफडीसी), सेंटर फॉर आईपीआर स्टडीज तथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल के संयुक्त तत्वावधान में आर्थिक विकास में बौद्धिक संपदा और नवाचार की भूमिका विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किया गया। इस दौरान डॉ. धनपत राम अग्रवाल ने कहा कि भारत को एक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए विश्व जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। इसके लिए मानव संसाधन को बौद्धिक संपदा में रूपांतरित करना तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण समय की आवश्यकता है।

डॉ. धनपत राम अग्रवाल ने कहा कि मजबूत आईपी सिस्टम के लिए रचनात्मकता, संरक्षण, प्रवर्तन, व्यावसायीकरण और जागरूकता जैसे 5 प्रमुख स्तंभों को सुदृढ़ करना अनिवार्य है। विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण दोहन होना चाहिए।

कुलपति प्रो. राजबीर सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालयों को अब केवल ज्ञान के केंद्र नहीं, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के हब के रूप में उभरना होगा। उन्होंने कहा कि लोकल से ग्लोबल की सोच के साथ शोध और तकनीक को समाज व उद्योग से जोड़ना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

पांच दिवसीय स्वदेशी मेला

स्वदेशी विचारधारा की अलख जगाने एवं स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ हिसार के पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में पांच दिवसीय स्वदेशी मेले का शुभारंभ हुआ जनकल्याण की भावना से सेवा भारती स्कूल द्वारा समरसता महायज्ञ करके शुरुआत हुई। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने 'कबाड़ से जुगाड़' व भाषण प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके दिल जीत लिया। बच्चों द्वारा बेकार सामग्री से बनाई गई कृतियां देखकर दर्शक दंग रह गए। इसी भांति भाषण प्रतियोगिता में बच्चों की वक्तव्य प्रस्तुति देखकर लोग तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गए। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर हौसला बढ़ाया गया।

स्वदेशी मेले में युवा संगम कार्यक्रम के तहत सुमित सातरोड़ ने अपनी मंडली के साथ रागनी प्रस्तुत करके हरियाणा की संस्कृति, शौर्य व परम्पराओं से साक्षात्कार करवाया। घड़वे की थाप व बैजों की धुनों के साथ सुमित सातरोड़ ने रंग जमा दिया और खूब तालियां बटोरी। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास शर्मा बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रहे। इनके साथ

कर्णप्रताप सिंह, नवीन शर्मा, नरेंद्र शर्मा, मोहित बंसल, जनक कुमार व सुनील कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे श्रीनिवास शर्मा ने उद्यमिता एवं स्वरोजगार पर प्रेरक उद्बोधन देकर स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया।

स्वदेशी मेले के प्रथम दिवस स्वदेशी मेला प्रांतीय प्रमुख अनिल गोयल, मेला संयोजक दिनेश चुघ, मेला सह संयोजक सुमन ऐरन व प्रदीप बामल मेला प्रमुख संजीव शर्मा, स्कूल संपर्क प्रमुख मोना जैन, प्रतियोगिता प्रमुख ऋद्धा जांगड़ा, कार्यक्रम प्रमुख डॉ. अनिल कुमार व कमलदीप अत्री, मेला प्रचार प्रमुख पुनीत खुराना, स्टॉल प्रमुख ऋतुराज, अतिथि सत्कार प्रमुख राकेश चराया, युवा प्रमुख सोनिया श्योदान व महिला प्रमुख स्नेहलता सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर्बल उत्पाद एवं सौंदर्य प्रसाधन, आंतरिक साज-सज्जा, गलीचे, चर्म उत्पाद, डेयरी उत्पाद, फर्नीचर, गो उत्पाद स्वास्थ्य उत्पाद, पॉटरी, आभूषण, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प एवं हथकरघा सहित विभिन्न उत्पादों से संबंधित स्टॉल लगाए गए हैं।

समृद्ध भारत के लिए शुद्ध प्रजनन दर हो न्यूनतम 2.1 के स्तर तक

स्वदेशी जागरण मंच व स्वदेशी शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में समृद्ध भारत महान भारत (उच्च शिक्षा एवं शोध में स्वदेशी) विषयक प्रबुद्धजन गोष्ठी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बृहस्पति सभागार में आयोजित की गई।

मंच जोधपुर प्रांत के सहप्रचार प्रमुख राधेश्याम बंसल ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. पवन कुमार शर्मा ने की। मुख्य अतिथि वास्तुशास्त्री क्षितिज महर्षि, मुख्य मार्गदर्शक डॉ. सतीश आचार्य तथा मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक सतीश कुमार रहे। डॉ. सतीश आचार्य ने कहा कि भारत के विकास का मॉडल आर्थिक राष्ट्रवाद के ऊपर आधारित होना चाहिए। क्षितिज महर्षि ने समृद्ध तथा महान भारत के लिए शोध की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के सह संगठक सतीश कुमार ने कहा कि जिन आठ बिंदुओं पर कार्य करते हुए स्वदेशी शोध संस्थान आगे बढ़ रहा है, वह भारत को समृद्ध और महान भारत बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक समृद्ध भारत बनाने के लिए हमें शुद्ध प्रजनन दर को न्यूनतम 2.1 के स्तर तक रखना ही होगा ताकि युवा तथा क्रियाशील जनसंख्या देश में उपलब्ध रह सके। कार्यक्रम के अध्यक्ष कुलगुरु प्रो. पवन कुमार शर्मा

ने स्व का ध्यान करते हुए स्वभाषा, स्वभोजन, स्वसंस्कृति, स्ववेशभूषा पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेगेटिव नरेटिव के चक्रव्यूह को तोड़ने का आह्वान किया। अंत में स्वदेशी संकल्प कराया गया।

स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा

संपूर्ण भारतवर्ष में युवाओं और देशवासियों के मन में स्वदेशी का भाव जगाने के लिए स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में देश की जो परिस्थितियां हैं उनको चुनौती के रूप में लेने के बजाय अवसर के रूप में लेना है। स्वदेशी जागरण मंच और कैट का विचार है कि देश समृद्ध बनाना है तो स्वदेशी को अपनाना है। यह विचार जब तक युवाओं में नहीं जाएगा, देशवासियों तक घर-घर नहीं पहुंचेगा तब तक हम जो आज वर्तमान में आर्थिक युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में विजय नहीं कर पाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो तो हम सभी को इस स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा में शामिल होना है और इस यात्रा के उद्देश्य को पूरा करना है। घर-घर में स्वदेशी का भाव जागरण हो। स्वभाषा,

स्वाभूषा, स्व भोजन, यह सभी जब हम घर-घर तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से भारत माता का एक सूत्र समृद्ध चित्र हमारे बीच में प्रस्तुत होगा और आने वाली पीढ़ी हम सभी का धन्यवाद व्यापित करेगी। इसलिए आए और इस स्वदेशी रथ यात्रा में संकल्प लें कि हम जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, गांव शहर की एक पुकार उद्यमिता और रोजगार यदि देश को समृद्ध बनाना है तो विदेशी को भगाना है। इन विचारों को हम जब घर-घर पहुंचाएंगे तो हर घर स्वदेशी हर युवा उद्यमी बनाकर निकलेगा।

यह यात्रा 1 दिसंबर से प्रारंभ होकर 30 दिसंबर तक चली। देश भर में 40 रथ स्वदेशी संकल्प यात्रा के रथ हैं मालवा प्रांत के इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों में यह स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा 3 दिसंबर से प्रारंभ होकर 18 दिसंबर तक चली, जिसमें मालवा प्राण के पूरे 15 जिले में यह स्वदेशी का अभियान जन-जन तक पहुंचाया गया। स्वदेशी जागरण मंच और कैट के कार्यकर्ता सभी इस अभियान में लगे हैं, जिसमें देश में एक सकारात्मक स्वदेशी माहौल बना। □□

(पृष्ठ 35 से आगे...)

जीवन की हर सांस, प्रभु श्री राम के साथ...

बलिदान देकर यह आनंद और गौरव का दिन उपलब्ध कराया है। उन सबके प्रति कृतज्ञता का दिन है। आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्वर्णिम लौट आया है। संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होगा। सब में आनंद है, सब में उमंग है। श्री राम का अद्भुत दिव्य सिंगार देखकर पूरा देश आनंदित हो रहा था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भावुक स्वर में कहा कि 500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इस चिरप्रतीक्षित मौके पर अंतरमन और भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने को शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विहवल है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा— 'यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्यमेव जयते के रूप में भारत के राज चिन्ह में

अंगीकार किया गया है। यह लोक आस्था जन विश्वास की विजय है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है।' निःसंदेह श्री रामलाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव है। अवधपुरी में रामलला का विराजना भारत में राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा है। अब मंदिर में रामलला के दर्शन की अभिलाषा पूरी हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी लोगों के लिए मंदिर जैसे मोक्ष का द्वार हो गया हो। देशभर में जिस तरह का उत्साह नजर आ रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहेगा। चारों तरफ से जनता आ रही है— प्रभु को पाने के लिए। आज पूरी दुनिया आयोध्या के वैभव को निहार रही।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर की पूर्ण प्रतिष्ठा पर करोड़ों राम भक्तों के साथ अविस्मरणीय पल बिताए। उन्होंने कहा कि यह मंदिर युगों तक सनातन संस्कृति का अविद्वितीय प्रतीक रहेगा। इस पल की प्रतीक्षा में न जाने कितनी पीढ़ियां खप गईं लेकिन कोई भी डर और आतंक राम जन्मभूमि पर फिर से मंदिर बनाने के संकल्प और विश्वास को डिगा नहीं पाई। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा एक नए युग की शुरुआत हुई है।

यह मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है बल्कि भारत की दृष्टि में भारत के दिव्य दर्शन का मंदिर है। यह राम के रूप में राष्ट्रीय चेतना का मंदिर है। राम भारत का गौरव है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विश्वास है। राम भारत की चेतना हैं, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम प्रवाह है, राम नीति भी है, राम निरंतरता भी है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। □□

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी बैठके

सचित्र झलक



मेरठ प्रांत



तमिलनाडु प्रांत



उत्तराखंड प्रांत



बूज प्रांत



स्वदेशी गतिविधियां

बाबू गेनू बलिदान दिवस

सचित्र झलक



त्रिपुरा



दिल्ली



गुजरात



पूत (राज.)



जमशेदपुर



कोलकाता



मुंबई



सिलीगुड़ी



उदयपुर



अमरपुर, त्रिपुरा